सत्यमेव जयते

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

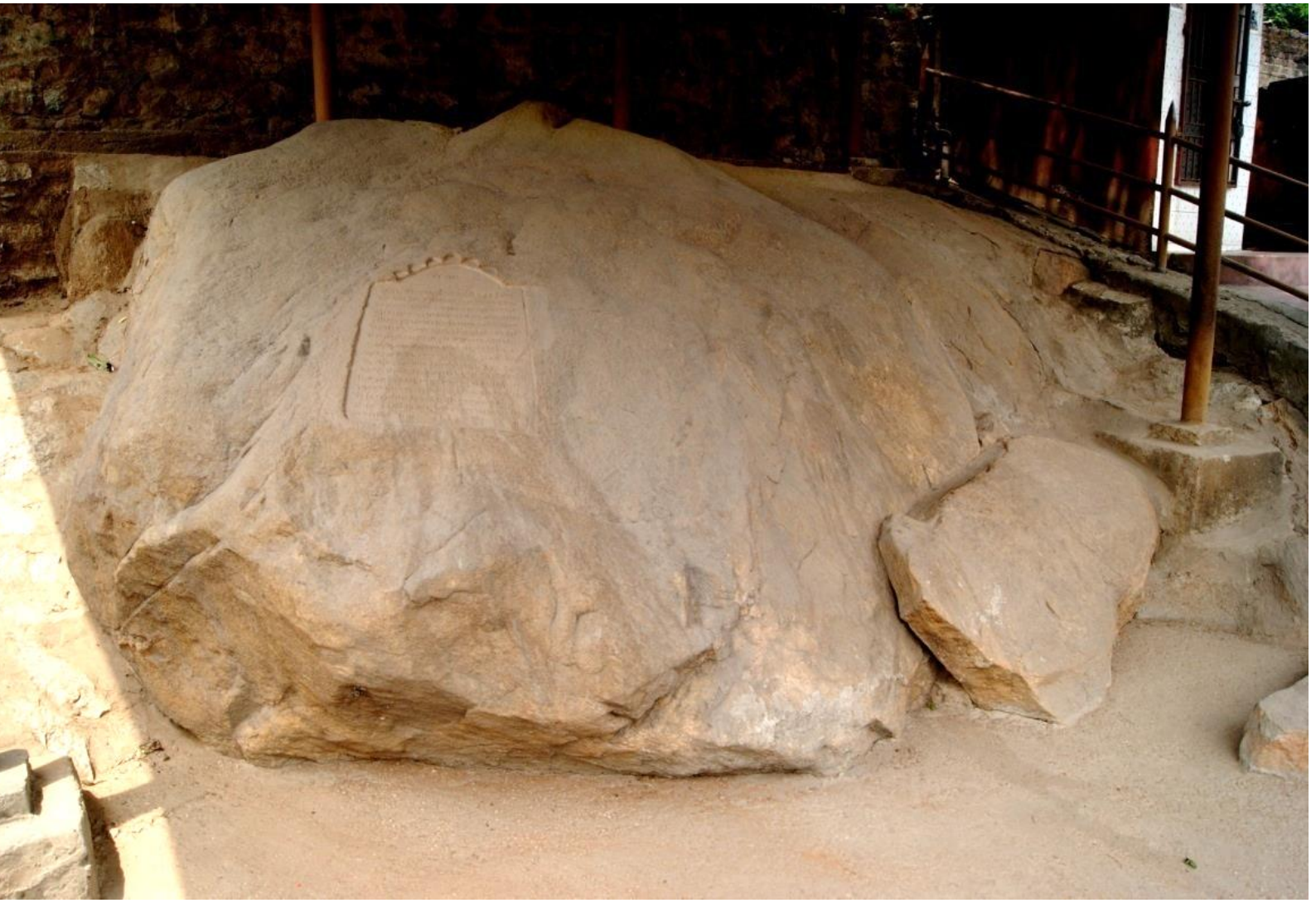

दुआरगारिला शिलालेख, गुवाहाटी, जिला – कामरूप मैट्रो, असम के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Duargarila Rock Inscription, Guwahati, District - Kamrup Metro, Assam

दुआरगारिला शिलालेख, गुवाहाटी, जिला - कामरूप मैट्रो, असम के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Duargarila Rock Inscription, Guwahati, District - Kamrup Metro, Assam

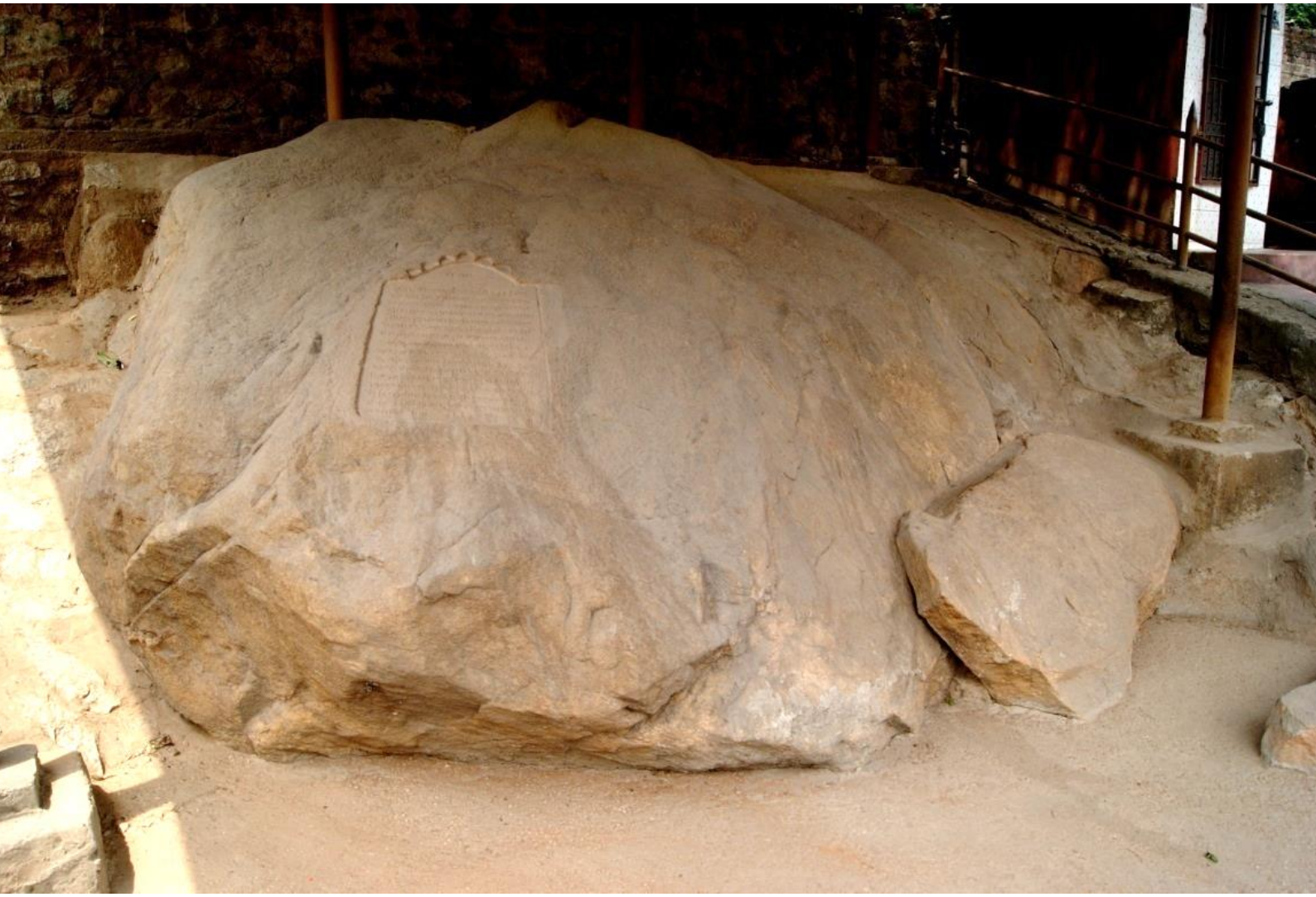

विषय – सूची

	अध्याय I **प्रारंभिक**	
1.1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1
1.2	परिभाषाएं	2-3
	अध्याय II **प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि**	
2.1	अधिनियम की पृष्ठभूमि	4
2.2	धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	4
2.3	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां	4-5
	अध्याय III **संरक्षित संस्मारक - दुआरगारिला शिलालेख, गुवाहाटी, जिला - कामरूप मैट्रो, असम का स्थान और अवस्थिति**	
3.1	संस्मारक का स्थान और अवस्थिति	6-7
3.2	संस्मारक की संरक्षित सीमा	7
	3.2.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख के अधिसूचना मानचित्र/योजना	7
3.3	संस्मारक का इतिहास	7
3.4	संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि)	8
3.5	वर्तमान स्थिति	8
	3.5.1 संस्मारक की स्थिति-स्थिति का आकलन	8
	3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या	8
	अध्याय IV **स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा ज़ोनिंग, यदि कोई हो**	
4.1	मौजूदा ज़ोनिंग	9
4.2	स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश	9
	अध्याय V **प्रथम अनुसूची एवं सर्वेक्षण योजना के अनुसार सूचना**	
5.1	संस्मारक की सर्वेक्षण योजना	10
5.2	सर्वेक्षित आंकड़ो का विश्लेषण	10
	5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	10

	5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	10-11
	5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण	12
	5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि	12-13
	5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई (क्षेत्र-वार)	13
	5.2.6 राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन यदि उपलब्ध हों	13
	5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं	13
	5.2.8 संस्मारक तक पहुंच	13
	5.2.9 अवसरंचनात्मक सेवाएं	13
	5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित ज़ोनिंग	14
अध्याय VI संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व		
6.1	संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	15
6.2	संस्मारक की संवेदनशीलता	15
6.3	संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता	15
6.4	पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग	16
6.5	संरक्षित संस्मारक के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहर	16
6.6	सांस्कृतिक परिदृश्य	16
6.7	महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य	16
6.8	खुली जगह और निर्माण का उपयोग	16-17
6.9	पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ	17
6.10	संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज	17
6.11	पारंपरिक वास्तुकला	17
6.12	स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना	17
6.13	अनुमेय भवन संबंधी मापदंड	18
	6.13.1 मरम्मत एवं नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में)	18
	6.13.2 पुनर्निर्माण	18
	6.13.3 नया निर्माण	19-20
6.14	आगंतुक सुविधाएं और प्रसाधन	20
अध्याय VII स्थल विशिष्ट सिफारिशें		
7.1	स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें	21
7.2	अन्य सिफ़ारिशें	21

CONTENTS		
CHAPTER I PRELIMINARY		
1.1	Short title, Extent and Commencements	22
1.2	Definitions	23-24
CHAPTER II Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended		
2.1	Background of the Act	25
2.2	Provision of the Act related to Heritage Bye-Laws	25
2.3	Rights and Responsibilities of Applicant	25-26
CHAPTER III Location and Setting of Protected Monument - Duargarila Rock Inscription, Guwahati, District - Kamrup Metro, Assam		
3.1	Location and Setting of the Monument	27-28
3.2	Protected Boundary of the Monument	28
	3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records	28
3.3	History of the Monument	28
3.4	Description of the Monument (architectural features, elements, materials etc.)	29
3.5	Current Status	29
	3.5.1 Condition of the Monument - condition assessment	29
	3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers	29
CHAPTER IV Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans		
4.1	Existing Zoning	30
4.2	Existing Guidelines of the local bodies	30
CHAPTER V Information as per First Schedule and Survey Plan		
5.1	Survey Plan of the Monument	31
5.2	Analysis of surveyed data	31
	5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details	31
	5.2.2 Description of built up area	31-32
	5.2.3 Description of green/open spaces	33
	5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc	33
	5.2.5 Existing Heights of buildings (Zone wise)	34

	5.2.6 State Protected Monuments and listed Heritage Buildings	34
	5.2.7 Public amenities	34
	5.2.8 Access to Monument	34
	5.2.9 Infrastructure services	34
	5.2.10 Proposed zoning of the area as per Local Bodies	35
CHAPTER VI Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monument		
6.1	Architectural, historical and archaeological value	36
6.2	Sensitivity of the Monument	36
6.3	Visibility from the Protected Monument or area and visibility from Regulated Area	36-37
6.4	Land-use to be identified	37
6.5	Archaeological heritage remains other than Protected Monument	37
6.6	Cultural landscapes	37
6.7	Significant natural landscapes	37
6.8	Usage of open space and constructions	38
6.9	Traditional, historical and cultural activities	38
6.10	Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas	38
6.11	Traditional architecture	38
6.12	Developmental plan, as available, by the local authorities	39
6.13	Permissible Building related parameters	39
	6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated Area)	39
	6.13.2 Reconstruction	39
	6.13.3 New Construction	40-41
6.14	Visitor facilities and amenities	41
CHAPTER VII Site Specific Recommendations		
7.1	Site Specific Recommendations	42
7.2	Other Recommendations	42

Annexure		
अनुलग्नक-I Annexure-I	दुआरगारिला शिलालेख, गुवाहाटी, जिला - कामरूप मैट्रो, असम की सर्वेक्षण योजना Survey Plan of Duargarila Rock Inscription, Guwahati, District - Kamrup Metro, Assam	43
अनुलग्नक-II Annexure-II	संस्मारक की मूल अधिसूचना Notification of the Monument	44
अनुलग्नक–III(क) Annexure-III(a)	गुवाहाटी महानगर क्षेत्र के लिए व्यापक मास्टर प्लान, 2025 'मौजूदा प्रमुख भूमि उपयोग मानचित्र' Comprehensive Master Plan for Guwahati Metropolitan Area, 2025 'Existing Predominant Land use map'	45
अनुलग्नक-III(ख) Annexure–III(b)	गुवाहाटी महानगर क्षेत्र के लिए व्यापक मास्टर प्लान, 2025 'मौजूदा प्रमुख भूमि उपयोग मानचित्र' का बडा किया गया खंड The enlarged section of Comprehensive Master Plan for Guwahati Metropolitan Area, 2025 'Existing Predominant Land use map'	46
अनुलग्नक-IV(क) Annexure–IV(a)	गुवाहाटी महानगर क्षेत्र के लिए व्यापक मास्टर प्लान, 2025 'भूमि उपयोग ज़ोनिंग योजना – 2025' Comprehensive Master Plan for Guwahati Metropolitan Area, 2025 'Landuse Zoning Plan – 2025'	47
अनुलग्नक-IV(ख) Annexure-IV(b)	गुवाहाटी महानगर क्षेत्र के लिए व्यापक मास्टर प्लान, 2025 'भूमि उपयोग ज़ोनिंग योजना – 2025' का बडा किया गया खंड The enlarged section of Comprehensive Master Plan for Guwahati Metropolitan Area, 2025 'Landuse Zoning Plan– 2025'	48
अनुलग्नक-V Annexure–V	संस्मारक दुआरगारिला शिलालेख, गुवाहाटी, जिला - कामरूप मैट्रो, असम और उसके आसपास के चित्र Images of the Monument and its surrounding areas – Duargarila Rock Inscription, Guwahati, District - Kamrup Metro, Assam	49-52

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संरक्षित संस्मारक - **"दुआरगारिला शिलालेख, गुवाहाटी, जिला - कामरूप मैट्रो, असम"** के लिए निम्नलिखित धरोहर उप-विधि जिन्हें इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हैरिटेज (इनटैक), नई दिल्ली परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य प्रणाली), नियम, 2011 के नियम 18 के उप-नियम 2 द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्वारा 05.11.2021 को प्रकाशित किया गया था।

यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, निम्नलिखित उप-विधि बनाता है, नामत:

"दुआरगारिला शिलालेख, गुवाहाटी, जिला - कामरूप मैट्रो, असम" के लिए धरोहर उप-विधि

अध्याय I
प्रारंभिक

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) इन उप-विधियों को संरक्षित संस्मारक – **"दुआरगारिला शिलालेख, गुवाहाटी, जिला-कामरूप मैट्रो, असम"** के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2025 कहा जाएगा।

(ii) ये संस्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

(iii)इन उप-विधियों के प्रावधान किसी भी अन्य उप-विधि में निहित असंगतता के बावजूद प्रभावी होंगे, चाहे इन उप-विधियों के प्रारंभ होने से पहले या बाद में बनाए गए हों, या किसी उप-विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी दस्तावेज़ में हों। इन उप-विधियों को किसी अन्य उप-विधि के अनुरूप बनाने के लिए इनमें संशोधन करना अनिवार्य नहीं होगा।

(iv)ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.2 परिभाषाएं:-

1. इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए अनुसार परिभाषाएं सुविधा की दृष्टि से यहां पुन: लिखी गई हैं:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं-

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;

(ड) ''प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) ''निर्माण'' से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन: निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

(ज) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(झ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ञ) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉं निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है:

(ठ) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ड) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ढ) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(त) "पुन: निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(थ) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन: निर्माण नहीं होंगे।

2. इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि

2.1 अधिनियम की पृष्ठभूमि:

धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है **(i) प्रतिषिद्ध क्षेत्र,** यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित संस्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 100 मीटर की दूरी तक फैला है और **(ii) विनियमित क्षेत्र,** यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 200 मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून, 1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुन: निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.2 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम 22 में संरक्षित संस्मारकों के लिए उप-विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य निष्पादन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों के अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.3 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन का ब्यौरा विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून, 1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा नवीकरण का काम कराना चाहता है तो वह ऐसी मरम्मत और नवीकरण, जैसा भी स्थिति हो, को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना अथवा भूमि का स्वामी है और वह ऐसी भूमि पर ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा का कोई निर्माण अथवा पुन: निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, करना चाहता है तो वह निर्माण अथवा पुन: निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय III

संरक्षित संस्मारक - दुआरगारिला शिलालेख, गुवाहाटी, जिला - कामरूप मैट्रो, असम का स्थान और अवस्थिति

3.1 संस्मारक का स्थान और अवस्थिति:

संरक्षित संस्मारक, दुआरगारिला शिलालेख, गुवाहाटी, जिला कामरूप मेट्रो, असम गुवाहाटी शहर में नीलाचल पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है। यह पहाड़ी गुवाहाटी शहर के पश्चिमी भाग में स्थित है, जहाँ से उत्तर की ओर ब्रह्मपुत्र नदी दिखाई देती है।

भौगोलिक निर्देशांक हैं: **अक्षांश: 26°09'40" उत्तर, देशांतर: 91°42'39" पूर्व**।

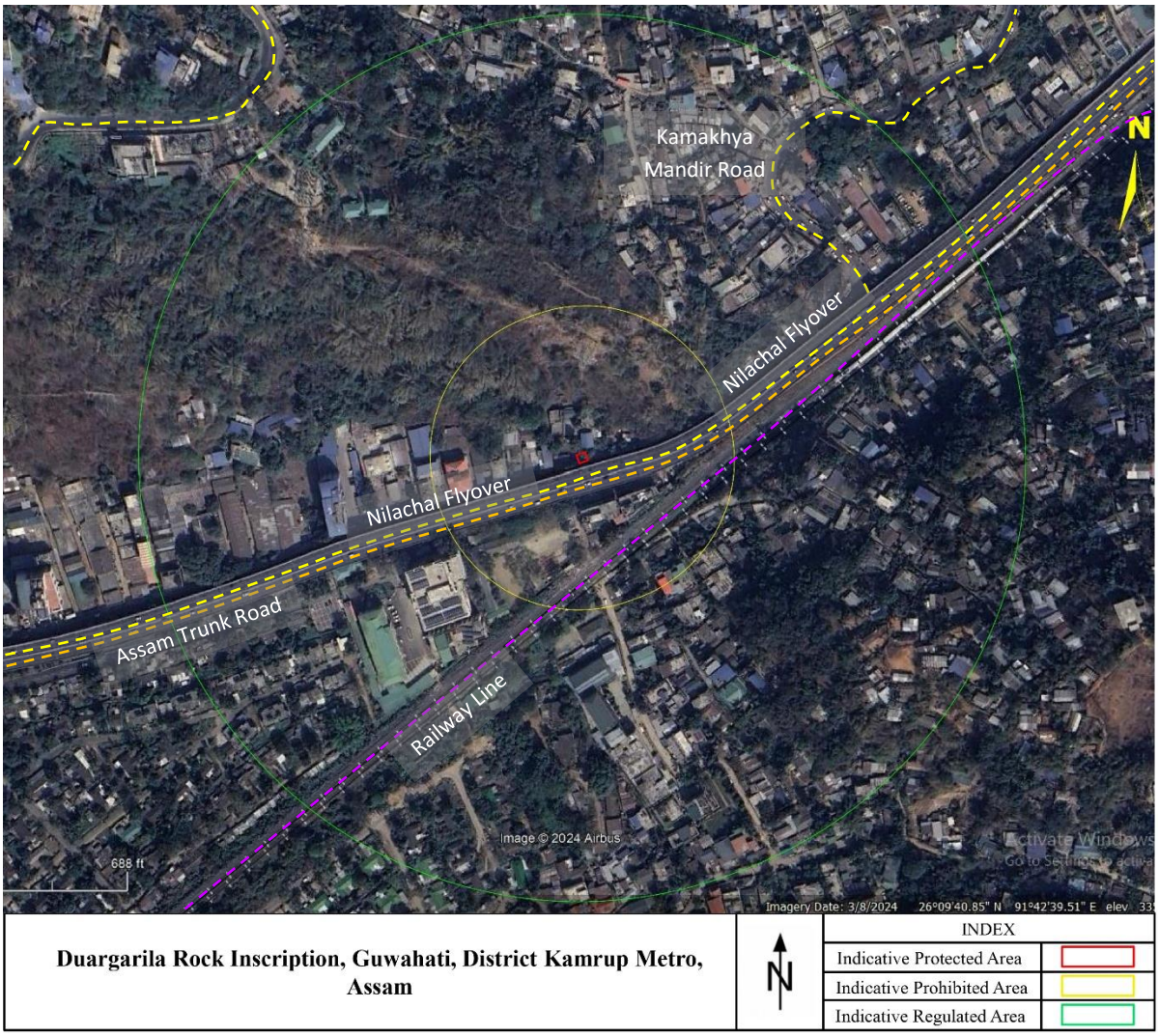

चित्र 1: दुआरगारिला शिलालेख, गुवाहाटी, जिला - कामरूप मैट्रो, असम का स्थान दर्शाता उपग्रह चित्र

संरक्षित संस्मारक असम ट्रंक रोड (एटी रोड) के किनारे स्थित है जो पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 से जुड़ता है। एटी रोड पर एक फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है और एक रेलवे ट्रैक है जो इसके समानांतर चलता है, जो संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र दोनों से होकर गुजरता है। संरक्षित संस्मारक कुछ संरचनाओं के बीच बनाया गया है और नीलाचल पहाड़ी (जिसे कामाख्या पहाड़ी भी कहा जाता है) की तलहटी पर स्थित है जो गुवाहाटी शहर का एक प्रमुख स्थल है। नीलाचल पहाड़ी कामाख्या मंदिर के लिए प्रसिद्ध है जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में से एक है। संरक्षित संस्मारक पहाड़ी की दक्षिणी तलहटी के पास स्थित है, जो मंदिर परिसर के बार-बार देखे जाने वाले क्षेत्रों से दूर है। संरक्षित संस्मारक दक्षिण में गुवाहाटी के हलचल भरे शहर और उत्तर में पहाड़ी की हरी-भरी हरियाली से घिरा हुआ है, साथ ही उत्तर-पूर्व की ओर कामाख्या मंदिर रोड पर स्थित संरचनाएं हैं। संरक्षित संस्मारक का सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है जो इस क्षेत्र के मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देता है। यहाँ पाया गया शिलालेख एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेख है, जो असम में अहोम राजवंश के शासन को समझने के लिए प्राथमिक स्रोत प्रदान करता है।

संरक्षित संस्मारक सड़क, रेल और हवाई संपर्क से जुड़ा हुआ है क्योंकि गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर है और भारत के उत्तर-पूर्वी भाग में एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र है। गुवाहाटी में रूपनाथ ब्रह्मा अंतर-राज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) संरक्षित संस्मारक के दक्षिण में लगभग 9.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन कामाख्या जंक्शन है जो संरक्षित संस्मारक के दक्षिण-पश्चिम में लगभग 2.3 किलोमीटर की दूरी पर है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई (गुवाहाटी) हवाई अड्डा संरक्षित संस्मारक के पश्चिम में लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है।

3.2 संस्मारक की संरक्षित सीमा:

संरक्षित संस्मारक - **दुआरगारिला शिलालेख, गुवाहाटी, जिला - कामरूप मैट्रो, असम** की संरक्षित सीमा **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती है।

3.2.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

दुआरगारिला शिलालेख, गुवाहाटी, जिला - कामरूप मैट्रो, असम की राजपत्र अधिसूचना **अनुलग्नक-II** में देखी जा सकती है।

3.3 संस्मारक का इतिहास:

कामाख्या पहाड़ी की तलहटी में असमिया में 18वीं सदी का एक शिलालेख है जिसे दुआरगारिला शिलालेख के नाम से जाना जाता है, जो अहोम शासन के दौरान गुवाहाटी में मुख्यालय के पश्चिमी प्रवेश द्वार को चिह्नित करता है। यह शिलालेख पनिदिहिंगिया बरफुकन या देबरा बरफुकन द्वारा राजा शिव सिंह (1714 - 1744 ई.) की ओर से उत्कीर्ण किया गया था जो अहोम साम्राज्य के निचले असम के सेनापति और प्रांतीय गवर्नर थे। शिलालेख शक 1654 (1732 ई.) में उत्कीर्ण किया गया था।

3.4 संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि):

संरक्षित संस्मारक आयताकार आधार वाला एक शिलाखंड है और इसकी सतह पर शिलालेख उत्कीर्ण किए गए हैं। शिलालेख में *प्राग्ज्योतिषपुर* के लिए 152 धामू की लंबाई वाले *द्वार* (प्रवेश द्वार) और 222 धामू की लंबाई वाली खाई तथा स्थल पर खाई के साथ एक प्राचीर के निर्माण का उल्लेख है। प्राचीर के निर्माण में मिट्टी, पत्थर और ईंटों का इस्तेमाल किया गया था।

3.5 वर्तमान स्थिति:

3.5.1 संस्मारक की स्थिति – स्थिति का आकलन:

संरक्षित संस्मारक का रखरखाव और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का विशेष अधिकार क्षेत्र है। संरक्षित संस्मारक की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाले चित्र **अनुलग्नक-V** में संलग्न हैं।

3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या:

संरक्षित संस्मारक को देखने आने वाले लोगों की औसत संख्या प्रतिदिन लगभग 5 -10 है।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा ज़ोनिंग, यदि कोई हो

4.1 मौजूदा ज़ोनिंग:

“गुवाहाटी महानगर क्षेत्र, 2025 के लिए व्यापक मास्टर प्लान" के "मौजूदा प्रमुख भूमि उपयोग मानचित्र" के अनुसार संरक्षित संस्मारक वाणिज्यिक भूमि उपयोग क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

संरक्षित संस्मारक के आस-पास के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में विभिन्न निर्दिष्ट मौजूदा भूमि उपयोग क्षेत्र हैं, जिनमें शामिल हैं:

i. आवासीय भूमि उपयोग क्षेत्र, उप-श्रेणियों के साथ:
   क) सामान्य आवासीय
   ख) विरल रूप से स्थित पहाड़ी बस्तियाँ
ii. सार्वजनिक अर्ध-सार्वजनिक भूमि उपयोग क्षेत्र, सरकारी उपयोग के लिए उप-श्रेणियों के साथ (जैसे, पुलिस स्टेशन, डाकघर, सरकारी कार्यालय)।
iii. खुली जगह/मनोरंजन/खाली भूमि उपयोग क्षेत्र, पहाड़ियों के लिए एक उप-श्रेणी के साथ।
iv. वाणिज्यिक भूमि उपयोग क्षेत्र, सामान्य वाणिज्यिक और गोदाम के लिए उप-श्रेणियों के साथ।

मौजूदा प्रमुख भूमि उपयोग मानचित्र की प्रति **अनुलग्नक-III (क) और III (ख)** में संलग्न है।

4.2 स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश:

गुवाहाटी भवन निर्माण (विनियम) (संशोधन) उप-नियम, 2020 गुवाहाटी शहर के मास्टर प्लान में अधिसूचित गुवाहाटी महानगर क्षेत्र में लागू है।

अध्याय V

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख (रिकार्ड) में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची नियम 21 (1)/सर्वेक्षण योजना के अनुसार सूचना

5.1 संरक्षित संस्मारक की सर्वेक्षण योजना:

दुआरगारिला शिलालेख, गुवाहाटी, जिला - कामरूप मैट्रो, असम की सर्वेक्षण योजना **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती है।

5.2 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

i. संरक्षित क्षेत्र लगभग 47 वर्ग मीटर (0.012 एकड़) है।

ii. प्रतिषिद्ध क्षेत्र लगभग 34,152 वर्ग मीटर (8.4 एकड़) है।

iii. विनियमित क्षेत्र लगभग 2,56,801 वर्ग मीटर (63.5 एकड़) है।

5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

i. **उत्तर:** प्रतिषिद्ध क्षेत्र में बहुत कम संरचनाएँ मौजूद हैं जिनमें से ज़्यादातर संरक्षित संस्मारक के बाईं और दाईं ओर कुछ व्यावसायिक दुकानें हैं जो असम ट्रंक रोड के किनारे स्थित हैं तथा संरक्षित संस्मारक से सटे नीलाचल/कामाख्या पहाड़ी की ढलानों पर बने कुछ घर हैं। शेष प्रतिषिद्ध क्षेत्र में पहाड़ी के हरे-भरे खुले स्थान शामिल हैं।

विनियमित क्षेत्र नीलाचल पहाड़ी तक फैला हुआ है जिसमें निर्मित क्षेत्र कामाख्या मंदिर रोड के साथ उत्तर-पूर्वी भाग में केंद्रित है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से कम से मध्यम ऊँचाई वाली व्यावसायिक संरचनाएँ हैं, जिनमें दुकानें, होटल और लॉज शामिल हैं जो आगंतुकों और तीर्थयात्रियों के लिए हैं। इसके अतिरिक्त पहाड़ी की ढलानों पर कुछ आवासीय इमारतें स्थित हैं। इन संरचनाओं के बीच शिव मंदिर, कामाख्या हिल इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन और कुछ शौचालय ब्लॉक जैसे छोटे मंदिर बिखरे हुए हैं। विनियमित क्षेत्र कामाख्या मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को भी शामिल करता है जो कामाख्या मंदिर रोड की शुरुआत में स्थित है। इस सड़क का एक हिस्सा विनियमित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर भी आता है।

ii. **पूर्व:** पूर्वी दिशा में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में फ्लाईओवर का एक हिस्सा शामिल है जो असम ट्रंक रोड (एटी रोड) से होकर गुजरता है। इस फ्लाईओवर के दक्षिण में सड़क के किनारे कुछ इमारतें हैं जिनमें खुदरा दुकानों के साथ वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं। दक्षिण-पूर्वी दिशा में इन इमारतों से सटे प्रतिषिद्ध क्षेत्र से एक रेलवे ट्रैक गुजरता है।

विनियमित क्षेत्र के भीतर, असम ट्रंक रोड के ऊपर से एक फ्लाईओवर गुजरता है, जो रेलवे ट्रैक के समानांतर चलता है। कामाख्या मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर-पूर्व में स्थित है। क्षेत्र के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में, निर्मित वातावरण में मुख्य रूप से पहाड़ी की ढलानों के साथ आवासीय इमारतें शामिल हैं। अतिरिक्त संरचनाओं में एक मेडिकल स्टोर, एक छात्रावास, रेस्तरां और नीलाचल जातीय विद्यालय के रूप में जाना जाने वाला एक स्कूल शामिल है।

iii. **दक्षिण:** प्रतिषिद्ध क्षेत्र में संरक्षित संस्मारक के बगल में और उसके सामने एक फ्लाईओवर असम ट्रंक रोड (एटी रोड) के ऊपर से गुजरता है। दक्षिण-पूर्वी दिशा में एटी रोड के किनारे खुदरा दुकानों वाले व्यावसायिक परिसर हैं। मालीगांव हाई स्कूल के परिसरों सहित संस्थागत इमारतें भी मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त इन संरचनाओं के समीप प्रतिषिद्ध क्षेत्र से रेलवे लाइन जाती है।

विनियमित क्षेत्र में मुख्य रूप से रेलवे कॉलोनी के भीतर आवासीय इमारतें शामिल हैं। यह क्षेत्र मुख्य रूप से आवासीय है जबकि रेलवे लाइन के पार संस्थागत इमारतें भी हैं, जैसे ललित चंद्र भराली (एल.सी.बी.) कॉलेज और एल.सी.बी. कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल। विनियमित क्षेत्र के भीतर अन्य संरचनाओं में कामाख्या हिल इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन और पूरे क्षेत्र में फैले कई छोटे मंदिर शामिल हैं।

iv. **पश्चिम:** प्रतिषिद्ध क्षेत्र में वाणिज्यिक इमारतें असम ट्रंक रोड (एटी रोड) के किनारे स्थित हैं, जिनमें खुदरा शोरूम, एक योग केंद्र और कई छोटी दुकानें शामिल हैं। इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पीछे कुछ आवासीय इमारतें भी मौजूद हैं। एटी रोड के ऊपर से गुजरने वाला फ्लाईओवर प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आता है। दक्षिण-पश्चिम में मालीगांव हाई स्कूल की इमारतें स्थित हैं।

विनियमित क्षेत्र में फ्लाईओवर एटी रोड पर आगे जाता है। इस सड़क के किनारे कई इमारतें स्थित हैं, जिनमें एक पेट्रोल पंप, संजीवनी अस्पताल, कुछ मंदिर, स्प्रिंग डेल पब्लिक स्कूल, एक गोदाम और कुछ आवासीय इमारतें शामिल हैं। मालीगांव हाई स्कूल के बगल में महाप्रबंधक का कार्यालय, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (निर्माण) के परिसर में इमारतें हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में आवासीय रेलवे क्वार्टर मौजूद हैं। रेलवे लाइन विनियमित क्षेत्र से होकर दक्षिण-पश्चिम की ओर जाती है। उत्तर-पश्चिम में असम इलेक्ट्रिक ग्रिड कॉर्पोरेशन की सुविधाएँ और प्रशांति टूरिस्ट लॉज की इमारतें विनियमित क्षेत्र में आती हैं।

5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण:

संरक्षित संस्मारक के आसपास के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में हरियाली और खुले स्थानों का संयोजन है जो आसपास के वातावरण को बढ़ाता है और निर्मित पर्यावरण को संतुलित करता है। संरक्षित संस्मारक के दक्षिण में रेलवे कॉलोनी के भीतर आवासीय क्वार्टर हरियाली की पट्टियों से घिरे हुए हैं। इनमें अच्छी तरह से बनाए गए लॉन, छोटे बगीचे और पेड़ों से सजे रास्ते शामिल हैं जो निवासियों के लिए एक शांतिपूर्ण और छायादार वातावरण प्रदान करते हैं। कॉलोनी का लेआउट इमारतों के बीच खुले क्षेत्रों की अनुमति देता है, जो एक शांत और विशाल वातावरण में योगदान देता है। मालीगांव हाई स्कूल जैसे आस-पास के संस्थान खेल के मैदानों और कोर्टयार्ड के रूप में महत्वपूर्ण खुली जगह उपलब्ध कराते हैं। सड़कों के किनारे काफी हरियाली हैं, जिनमें लगाए गए पेड़, झाड़ियाँ और प्राकृतिक वनस्पतियाँ शामिल हैं। असम इलेक्ट्रिक ग्रिड कॉर्पोरेशन की सुविधाओं और पास के इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन में भी कुछ खुले क्षेत्र हैं, हालांकि मुख्य रूप से उपयोगिता-केंद्रित हैं। उत्तरी दिशा में कामाख्या पहाड़ी की तलहटी के पास परिदृश्य अधिक प्राकृतिक और खुले हरे-भरे स्थानों में बदल जाता है। पहाड़ी की निचली ढलानों पर घनी वनस्पतियाँ हैं जिनमें देशी पेड़ और झाड़ियाँ शामिल हैं जो पहाड़ी के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। यह क्षेत्र अधिक शहरीकृत परिवेश से एक तरो-ताज़ा बदलाव प्रदान करता है जिसमें पहाड़ी के बड़े हिस्से में प्राकृतिक हरियाली है। पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी दिशा में मौजूद फटासिल पहाड़ी पर स्थित आवासीय कॉलोनियों में इमारतों के बीच-बीच में हरियाली वाले क्षेत्र भी हैं। महाप्रबंधक का कार्यालय, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (निर्माण) के परिसर में खुली जगहें हैं।

5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि:

संरक्षित संस्मारक सड़कों के एक नेटवर्क के माध्यम से शहर के बाकी हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है जो सुगम पहुंच सुनिश्चित करता है। प्रमुख सड़कों, स्थानीय गलियों और पैदल मार्गों का संयोजन संरक्षित संस्मारक के चारों ओर अच्छी तरह से जुड़ा हुआ वातावरण बनाता है, जिससे आगंतुकों के लिए आसान पहुंच संभव हो जाती है। मुख्य सड़क, असम ट्रंक रोड (एटी रोड), संरक्षित संस्मारक के बगल में चलती है और प्रमुख पहुंच मार्ग के रूप में कार्य करती है। यह क्षेत्र को गुवाहाटी के अन्य हिस्सों से जोड़ता है और पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से जुड़ता है। शहर के प्रमुख कनेक्टर के रूप में इसकी भूमिका के कारण सड़क पर बसों, टैक्सियों और निजी वाहनों सहित काफी यातायात देखा जाता है। एटी रोड के ऊपर एक नवनिर्मित फ्लाईओवर लंबी दूरी के यातायात को निर्देशित करता है, जबकि स्थानीय यातायात नीचे से चलता है। उत्तर में कामाख्या मंदिर रोड मुख्य सड़क से अलग हो जाती है जो गुवाहाटी के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक कामाख्या मंदिर तक पहुँचने के लिए यह एक मुख्य मार्ग है। क्षेत्र की कनेक्टिविटी में इसकी भूमिका समग्र परिसंचरण में वृद्धि करती है, जो संरक्षित संस्मारक को पहाड़ी और शहर के उत्तरी भागों से जोड़ती है। एटी रोड से कई छोटी सड़कें और गलियाँ निकलती हैं जो आस-पास की आवासीय इमारतों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और मालीगांव हाई स्कूल तथा रेलवे कॉलोनी जैसी संस्थागत सुविधाओं तक

स्थानीय पहुँच प्रदान करती हैं। ये सड़कें संकरी हैं, लेकिन स्थानीय समुदाय के भीतर वाहनों और पैदल चलने वालों की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण हैं।

5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र की सामान्य निर्मित विशेषता में मुख्य रूप से कम ऊंचाई वाली संरचनाएं शामिल हैं। पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में निर्मित क्षेत्रों में अधिकांश इमारतें एक से तीन मंजिल ऊंची हैं, कुछ अपवादों में चार से पांच मंजिली संरचनाएं शामिल हैं। इमारतों में आम तौर पर आवासीय घर, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और कुछ स्थानीय दुकानें, शैक्षणिक संस्थान और कार्यालय शामिल हैं। पूर्व में संजीवनी अस्पताल आठ मंजिल ऊंचा है।

उत्तर की ओर इमारतों की औसत ऊंचाई लगभग G+1 से G+2 तक है, हालांकि, लगभग 12 मीटर की अधिकतम ऊंचाई वाली एक इमारत है।

पूर्व की ओर, इमारतों की औसत ऊंचाई लगभग जमीनी स्तर से G+1 तक है, एक अपवाद के साथ जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 10 मीटर है।

दक्षिण की ओर इमारतों की औसत ऊंचाई लगभग जमीनी स्तर से G+3 तक है, एक अपवाद के साथ जहां अधिकतम ऊंचाई 18 मीटर है। फ्लाईओवर की ऊंचाई सड़क स्तर से शीर्ष तक लगभग 9 मीटर है।

पश्चिम की ओर भवनों की औसत ऊंचाई लगभग भूतल से लेकर G+2 तक है, हालांकि महाप्रबंधक, एन.एफ. रेलवे (निर्माण) के कार्यालय परिसर के भीतर भवनों की अधिकतम ऊंचाई लगभग 24 मीटर है।

5.2.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों:

इस केंद्रीय संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में कोई राज्य संरक्षित संस्मारक और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा सूचीबद्ध धरोहर भवन मौजूद नहीं है।

5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में आवश्यक सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

5.2.8 संस्मारक तक पहुंच:

संरक्षित संस्मारक तक प्राथमिक पहुंच असम ट्रंक रोड (एटी रोड) नामक प्रमुख सड़क के माध्यम से सुगम है।

5.2.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं (जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढांचा सेवाएं जैसे जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, बिजली आपूर्ति, सीवेज प्रणाली और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपलब्ध हैं।

5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र की प्रस्तावित ज़ोनिंग:

"गुवाहाटी महानगर क्षेत्र के लिए व्यापक मास्टर प्लान, 2025" की प्रस्तावित "भूमि उपयोग ज़ोनिंग योजना-2025" के अनुसार संरक्षित संस्मारक को कोई अलग भूमि उपयोग ज़ोनिंग नहीं दी गई है जो इसकी अनूठी विशेषताओं को दर्शाती हो। इसके बजाय इसे वाणिज्यिक भूमि उपयोग क्षेत्र और पारिस्थितिकी संवेदनशील/पर्यावरण अनुकूल क्षेत्र के तहत चिह्नित किया गया है जिसे पहाड़ी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व के विपरीत है।

संरक्षित संस्मारक के आसपास के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में मौजूदा प्रमुख भूमि उपयोग मानचित्र की तुलना में विभिन्न प्रस्तावित भूमि उपयोग क्षेत्र हैं। प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में निर्दिष्ट भूमि उपयोग क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

i. आवासीय
ii. सार्वजनिक अर्ध-सार्वजनिक
iii. पहाड़ियाँ
iv. वाणिज्यिक-खुदरा

अध्याय VI

संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.1 वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

संरक्षित संस्मारक, दुआर्गारिला शिलालेख, एक महत्वपूर्ण शिलाखंड/चट्टान है जिसकी सतह पर आयताकार स्थान है और उस पर शिलालेख उत्कीर्ण किया गया है जो हमें *प्राग्ज्योतिषपुर* के लिए 152 धामूस माप के *द्वार* (प्रवेश द्वार) और 222 धामूस माप की खाई और स्थल पर खाई के साथ एक प्राचीर के निर्माण के बारे में सूचित करता है। प्राचीर के निर्माण के लिए मिट्टी, पत्थर और ईंटों का उपयोग किया गया था। यह असम में पाए गए कई महत्वपूर्ण शिलालेखों में से एक है। दुआर्गारिला शिलालेख का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेख है और असम में अहोम राजवंश के शासन को समझने के लिए प्राथमिक स्रोत प्रदान करता है। शिलालेख क्षेत्र के मध्यकालीन इतिहास की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह शिलालेख नीलाचल पहाड़ी की तलहटी में उत्कीर्ण किया गया है। अहोम शासन के समय यह गुवाहाटी शहर का पश्चिमी प्रवेश द्वार था। यह शिलालेख पनिदिहिंगिया बरफुकन या देबरा बरफुकन द्वारा राजा शिव सिंह (1714-1744 ई.) की ओर से उत्कीर्ण किया गया था जो अहोम साम्राज्य के निचले असम के सेनापति और प्रांतीय गवर्नर थे। शिलालेख शक 1654 (1732 ई.) में उत्कीर्ण किया गया था।

6.2 संस्मारक की संवेदनशीलता (अर्थात विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव, आदि):

संरक्षित संस्मारक चारों ओर से आधुनिक निर्माणों से घिरा हुआ है। असम ट्रंक रोड (एटी रोड) के माध्यम से यहाँ पहुँचा जा सकता है, जो एक प्रमुख सड़क है जहाँ यातायात की मात्रा बहुत अधिक है और जो गुवाहाटी के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ती है। इस सड़क के ऊपर एक फ्लाईओवर आंशिक रूप से संरक्षित संस्मारक को ढक देता है। गुवाहाटी मास्टर प्लान में नीलाचल/कामाख्या पहाड़ी को एक पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है; हालाँकि, पहाड़ी पर चल रहे विकास, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जोखिम पैदा करते हैं और संरक्षित संस्मारक के प्राकृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

6.3 संरक्षित संस्मारकों या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

दक्षिणी दिशा में असम ट्रंक रोड (एटी रोड) के ऊपर फ्लाईओवर होने के कारण संरक्षित संस्मारक से दक्षिण का दृश्य बाधित हो जाता है। उत्तर की ओर दृश्य में कामाख्या पहाड़ी की आरोही ढलानों का प्रभुत्व है, जो हरे-भरे और घनी वनस्पतियों से आच्छादित है। पूर्व की ओर दृश्य शहर की शहरी विशेषता को अधिक प्रदर्शित करता है, जिसमें आवासीय पड़ोस और स्थानीय दुकानें व्यस्त असम ट्रंक रोड (एटी रोड) के ऊपर फ्लाईओवर होने के कारण आंशिक रूप से बाधित हैं। दक्षिण की ओर क्षेत्र में निम्न से मध्यम ऊंचाई वाले निर्माणों का मिश्रण है, जिनके बीच कुछ हरे-भरे स्थान हैं। पास के मालीगांव हाई स्कूल और महाप्रबंधक का कार्यालय, एन.एफ. रेलवे (निर्माण) को आंशिक रूप से देखा जा सकता है। पश्चिम में एटी रोड के साथ मौजूद इमारतों के बाधित दृश्य हैं। संरक्षित संस्मारक के सुविधाजनक स्थान से, दृश्य में गुवाहाटी के शहरी और प्राकृतिक परिदृश्यों का एक विस्तृत दृश्य दिखाई देता है।

संरक्षित संस्मारक सभी दिशाओं से दिखाई नहीं देता है, हालाँकि यह केवल प्रतिषिद्ध क्षेत्र की दक्षिणी दिशा में असम ट्रक रोड से ही दिखाई देता है।

6.4 पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में निर्दिष्ट भूमि उपयोग क्षेत्र:

i. आवासीय

ii. सार्वजनिक अर्ध - सार्वजनिक

iii. पहाड़ियाँ

iv. वाणिज्यिक - खुदरा

6.5 संरक्षित संस्मारकों के अलावा पुरातात्विक धरोहर अवशेष:

आज तक प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में कोई ज्ञात या सूचित पुरातात्विक विरासत के अवशेष नहीं हैं।

6.6 सांस्कृतिक परिदृश्य:

संरक्षित संस्मारक, दुआरगारिला शिलालेख नीलाचल/कामाख्या पहाड़ी की तलहटी में स्थित है और कामाख्या पहाड़ी परिदृश्य का हिस्सा है। पहाड़ी का सांस्कृतिक परिदृश्य प्राकृतिक वातावरण और इसमें रहने वाले समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं के बीच सामंजस्यपूर्ण अंतःक्रिया को समाहित करता है। प्रतिष्ठित कामाख्या मंदिर के प्रभुत्व वाली यह पहाड़ी एक तीर्थ स्थल के रूप में कार्य करती है जहाँ धार्मिक अनुष्ठान और त्यौहार परिदृश्य के आध्यात्मिक महत्व को उजागर करते हैं। दुआर्गारिला शिलालेख क्षेत्र की ऐतिहासिक गहराई और अहोम राजवंश से इसके संबंध को दर्शाते हैं। प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का यह परस्पर संबंध एक अनूठा परिदृश्य बनाता है जो स्थानीय समुदायों की पहचान, विश्वासों और प्रथाओं को दर्शाता है, जो कामाख्या पहाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र के जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य के महत्व को दर्शाता है।

6.7 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा बनते हैं और संस्मारक को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने में भी मदद करते हैं:

संरक्षित संस्मारक नीलाचल/कामाख्या पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। पहाड़ी प्राकृतिक परिदृश्यों का एक आकर्षक मिला-जुला रूप प्रस्तुत करती है, जिसमें हरी-भरी वनस्पति, विविध वनस्पतियाँ और पहाड़ी के ऊबड़-खाबड़ भूभाग की ओर ले जाने वाली शांत ढलानें शामिल हैं। यहाँ उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रजातियाँ पनपती हैं, जो एक जीवंत हरियाली वाली छतरी बनाती हैं और एक समृद्ध पक्षी-जीवन को सहारा देती हैं, जिससे यह विभिन्न पक्षियों और छोटे स्तनधारियों के लिए एक आकर्षक आवास बन जाता है। मौसमी परिवर्तन वसंत में जीवंत जंगली फूल और गर्मियों में हरी-भरी हरियाली लाते हैं, जो इस शांत वातावरण की पारिस्थितिक विविधता और दृश्य आकर्षण को और समृद्ध करते हैं।

6.8 खुली जगह और निर्माण का उपयोग:

संरक्षित संस्मारक के आसपास के खुले स्थान शहरी और प्राकृतिक वातावरण में कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। उत्तर की ओर कामाख्या पहाड़ी की तलहटी की ओर परिदृश्य अधिक प्राकृतिक और विस्तृत हरियाली वाले स्थानों में परिवर्तित हो जाता है। यह प्राकृतिक हरियाली पहाड़ी की तलहटी के बड़े हिस्से को कवर करती है, जबकि पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी दिशाओं में आवासीय कॉलोनियों में बीच-बीच में हरियाली वाले क्षेत्र हैं जो सामुदायिक संपर्क को बढ़ावा देते हैं।

दक्षिण की ओर रेलवे कॉलोनी के आवासीय क्वार्टर, अच्छी तरह से बनाए गए लॉन, छोटे बगीचे और पेड़ों से सजे रास्तों से घिरे हुए हैं, जो निवासियों के लिए शांतिपूर्ण और छायादार क्षेत्र बनाते हैं। लेआउट विशालता को बढ़ावा देता है, इमारतों के बीच खुले क्षेत्र हैं, जो शांत वातावरण में योगदान करते हैं। मालीगांव हाई स्कूल जैसे आस-पास के संस्थानों में खेल के मैदान और कोर्टयार्ड सहित काफी खुली जगहें हैं, जो महत्वपूर्ण मनोरंजक क्षेत्रों के रूप में काम करती हैं। सड़कों के किनारे, सड़क के किनारे हरियाली के विस्तार, जिसमें लगाए गए पेड़, झाड़ियाँ और प्राकृतिक वनस्पतियाँ शामिल हैं, शहरी परिदृश्य के भीतर बफर के रूप में कार्य करते हैं, छाया प्रदान करते हैं और सौंदर्य अपील को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त, दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम में महाप्रबंधक का कार्यालय, उत्तरी सीमांत रेलवे (निर्माण) के परिसर में खुले स्थान मौजूद हैं, जो क्षेत्र की समग्र पहुंच और उपयोगिता में योगदान करते हैं।

6.9 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

संरक्षित संस्मारक से जुड़ी कोई पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ नहीं हैं। प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में भी ऐसी कोई गतिविधि नहीं देखी जाती है।

6.10 संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज:

संरक्षित संस्मारक से क्षितिज दक्षिण में आसपास के क्षेत्रों का आंशिक रूप से बाधित दृश्य प्रस्तुत करता है। इस क्षेत्र की विशेषता कम से मध्यम ऊंचाई वाली इमारतों का मिश्रण है, जिसमें हर जगह हरियाली के छोटे-छोटे भूमि के टुकड़े हैं। प्रमुख संरचनाएं जैसे कि मालीगांव हाई स्कूल और महाप्रबंधक का कार्यालय, उत्तरी सीमांत रेलवे (निर्माण) आंशिक रूप से दिखाई देते हैं। उत्तर की ओर क्षितिज का प्रभुत्व कामाख्या पहाड़ी की आरोही ढलानों से है, जो हरे-भरे हरियाली और घनी वनस्पतियों से सुसज्जित है जो एक आकर्षक प्राकृतिक पृष्ठभूमि बनाते हैं।

विनियमित क्षेत्र से क्षितिज में खुली जगहों के बीच इमारतें हैं; हालाँकि, संरक्षित संस्मारक विनियमित क्षेत्र के किसी भी हिस्से से दिखाई नहीं देता है। पैनोरमा में शहरी और प्राकृतिक दोनों तरह के परिदृश्यों की एक टेपेस्ट्री है, जिसमें इमारतों की पृष्ठभूमि में कामाख्या पहाड़ी की मजबूत उपस्थिति है। असम ट्रंक रोड (एटी रोड) के ऊपर बना फ्लाईओवर वर्तमान क्षितिज की एक प्रमुख विशेषता है।

6.11 पारंपरिक वास्तुकला:

प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसी इमारत हो जो पारंपरिक वास्तुकला को प्रदर्शित करती हो।

6.12 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना:

गुवाहाटी महानगर क्षेत्र के लिए व्यापक मास्टर प्लान, 2025 को देखा जा सकता है।

6.13 अनुमेय भवन संबंधी मापदंड:

6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में):

आंतरिक परिवर्तन और अनुकूली पुनः उपयोग की सामान्य रूप से अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, बाहरी परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत जाँच के अधीन होंगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें रेट्रोफिटिंग/नवीनीकरण शामिल है, की अनुमति तब दी जा सकती है जब इमारत संरचनात्मक रूप से कमज़ोर या असुरक्षित हो या जब उस पर किसी प्राकृतिक आपदा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो और नवीनीकरण अत्यंत आवश्यक हो। मूल इमारत शब्दावली और लेआउट के साथ-साथ निर्मित-खुले संबंधों का पालन किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के अधीन इमारतों की सामान्य मरम्मत और रखरखाव की अनुमति होगी।

भवन/संरचनाओं में मरम्मत और नवीनीकरण संरक्षित संस्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्रों की धरोहर विशेषताओं के अनुरूप और उससे मेल खाता होना चाहिए। एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), लैमिनेट्स, टाइलिंग या ग्लेज़िंग जैसी नई क्लैडिंग सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों को करने में स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6.13.2 पुनर्निर्माण:

पुनर्निर्माण को एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 2(त) में परिभाषित किया गया है तथा विनियमित क्षेत्र में पुनर्निर्माण की अनुमति एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग(2) और एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 6(IV) और नियम 7 के अनुसार दी जाती है। किसी संरक्षित संस्मारक या संरक्षित स्थल के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में स्थित किसी भी प्रकार के भवन या सरंचना, जो प्राकृतिक आपदाओं से ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो गयी है, और जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, के मामले में पुनर्निर्माण की एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 16 के अनुसार दी जाती है। प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त भवन अथवा संरचना के पुनर्निर्माण की अनुमति उसी सीमा तक दी जाएगी जितनी कि क्षति हुई है। पुनर्निर्माण के मामले में पुरानी इमारत के प्रतिस्थापन के रूप में नई संरचना या इमारत को पहले से मौजूद संरचना के अनुसार उसी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सीमाओं का पालन करना होगा। अग्रभाग में असंगत सामग्री जैसे ग्लेज़िंग, मेटल क्लैडिंग, एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), टाइल्स, लैमिनेट्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। नई संरचना संरक्षित संस्मारक के धरोहर क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र के साथ मेल खाती और उसके अनुरूप होनी चाहिए।

6.13.3 नया निर्माण:

6.13.3 क प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20क(4) के अनुसार, संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर किसी भी सार्वजनिक कार्य या जनता के लिए आवश्यक परियोजना या अन्य निर्माण सहित किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.13.3 ख विनियमित क्षेत्र:

गुवाहाटी महानगर क्षेत्र के लिए व्यापक मास्टर प्लान, 2025 और **गुवाहाटी भवन निर्माण (विनियम) (संशोधन) उप-नियम, 2020** जब भी संशोधित किए जाएंगे, में निर्दिष्ट सभी विकास नियंत्रण मानदंड और भवन विनियम, गुवाहाटी शहर के लिए मास्टर प्लान में अधिसूचित अनुसार गुवाहाटी महानगर क्षेत्र में लागू होंगे। हालाँकि, इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट ऊँचाई और अन्य मानदंड संरक्षित संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में लागू होंगे।

1. **स्थल पर नए निर्माण की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं, आदि सहित) या छत पर कोई अन्य सेवाएं:**

नए निर्माण या मौजूदा इमारतों में परिवर्धन/परिवर्तन के लिए अधिकतम ऊंचाई सीमा **10.5 मीटर** से अधिक नहीं होगी (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचना आदि या छत पर कोई अन्य सेवाएं सहित)।

बेसमेंट के निर्माण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

2. **उपयोग:**

   i. उपयोग गुवाहाटी महानगर क्षेत्र, 2025 के लिए व्यापक मास्टर प्लान की 'भूमि उपयोग ज़ोनिंग योजना - 2025' के अनुसार होना चाहिए।

   ii. नीलाचल/कामाख्या पहाड़ी को उसके पारिस्थितिक महत्व के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए, इसलिए जहाँ तक संभव हो निर्माण गतिविधि को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

3. **अग्रभाग डिजाइन:**

   i. किसी भी नए निर्माण का अग्रभाग डिजाइन न्यूनतम प्रकृति का होना चाहिए। अग्रभाग का डिजाइन सूक्ष्म होना चाहिए तथा मिट्टी के रंगों में प्लास्टर और पेंट किया जाना चाहिए।

   ii. बाहरी अग्रभाग पर बाहरी परिसज्जा के लिए एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लेमिनेट्स (एचपीएल) और किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री जैसी अंतर्वेधी सामग्रियों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

iii. अग्रभाग के लिए स्थानीय क्षेत्रीय डिजाइनों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

4. छत का डिज़ाइन:

ढलान वाली छत का डिज़ाइन अपनाया जा सकता है। इमारत की छत पर एल्युमिनियम, फाइबर ग्लास, पॉलीकार्बोनेट या इसी तरह की सामग्री का उपयोग करके अस्थायी प्रकृति की संरचनाओं का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। पानी की टंकियों को ईंट की दीवारों का उपयोग करके ढका जाना चाहिए।

5. निर्माण सामग्री:

i. संस्मारक की सभी सड़कों के अग्रभागों पर निर्माण सामग्री और रंग में एकरूपता बनाए रखी जानी चाहिए। बाहरी सजावट के लिए आधुनिक निर्माण सामग्री जैसे एल्युमीनियम क्लैडिंग, कांच की ईंटें और किसी भी अन्य सिंथेटिक टाइल या सामग्री के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

ii. मिट्टी, ईंट, पत्थर और सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा सकता है।

6. रंग:

बाहरी रंग तटस्थ स्वर का होना चाहिए तथा संरक्षित संस्मारक के अनुरूप होना चाहिए जैसे कि बलूआ पत्थर रंग, बेज तथा अन्य मिट्टी के रंग, जो संरक्षित संस्मारक तथा उसके आसपास के वातावरण के साथ तीव्र विरोधाभास उत्पन्न न करें।

7. अन्य विनियम:

मेट्रो, फुट-ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर या ऐसी किसी भी परियोजना जैसे किसी भी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव विस्तृत विरासत प्रभाव आकलन रिपोर्ट के अध्यधीन होगा।

6.14 आगंतुक सुविधाएं और प्रसाधन:

व्यवहार्यता के अनुसार आगंतुक सुविधाओं और प्रसाधनों पर विचार किया जा सकता है।

अध्याय VII
स्थल विशिष्ट सिफारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट सिफारिशें:

i. संरक्षित संस्मारक के प्रवेश के लिए सड़क के किनारे उचित खाली जगह छोडी जानी चाहिए।

ii. यदि संरक्षित संस्मारक के चारों ओर मुख्य सड़क को चौड़ा किया जाता है तो यथासंभव संरक्षित संस्मारक की संरक्षित सीमा से दूर की दिशा में होना चाहिए।

iii. संकेतक लगाने से ऐतिहासिक संरचना को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और न ही संरक्षित संस्मारक की ऐतिहासिक विशेषता को कम करना चाहिए।

iv. संरक्षित संस्मारक या इसके आस-पास के क्षेत्रों में संकेतक के लिए एलईडी या डिजिटल साइन, प्लास्टिक फाइबर ग्लास या किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक सिंथेटिक सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

v. संरक्षित संस्मारक के पास, विशेष रूप से संस्मारक की दीवारों पर होर्डिंग, बिल-बोर्ड और पोस्टर के रूप में किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

vi. संरक्षित संस्मारक के आसपास के क्षेत्र में आवागमन के लिए पर्यावरण के अनुकूल वाहनों का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

vii. वर्षा जल संचयन आदि जैसे सर्वोत्तम तरीकों सहित हरित भवनों के निर्माण की सिफारिश की जाती है।

7.2 अन्य सिफारिशें:

i. जब भी मास्टर प्लान, जोनल प्लान या विकास योजना में संशोधन किया जाए, तो उसमें राष्ट्रीय महत्व के सभी संरक्षित संस्मारकों और उनके प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

ii. क्षेत्र को प्लास्टिक और पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

iii. सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसरों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf पर देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF CULTURE

NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, read with Rule 22 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following Heritage Bye-Laws for the Protected Monument **"Duargarila Rock Inscription, Guwahati, District - Kamrup Metro, Assam"** prepared by the Competent Authority, in consultation with the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH), New Delhi were published on 05.11.2021, as required by sub-rule 2 of Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

The objections/suggestions, received before the specified date have duly been considered by the National Monuments Authority in consultation with the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, the National Monuments Authority, hereby makes the following bye-laws, namely:

Heritage Bye-Laws for "Duargarila Rock Inscription, Guwahati, District - Kamrup Metro, Assam"

CHAPTER I

PRELIMINARY

1.1 Short title, Extent and Commencements:-

(i) These bye-laws may be called the National Monuments Authority Heritage bye-laws 2025 of the Protected Monument – **"Duargarila Rock Inscription, Guwahati, District - Kamrup Metro, Assam"**

(ii) They shall extend to the entire Prohibited and Regulated Area of the Protected Monuments.

(iii) The provisions of these bye-laws shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other bye-laws, whether made before or after the commencement of these bye-laws, or in any instrument having effect by virtue of any bye-laws. It shall not be obligatory to carry out amendments in these bye-laws to make them consistent with any other bye-laws.

(iv) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.2 Definitions:-

1. In these bye-laws, unless the context otherwise requires,-

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place of interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes -

(i) the remains of an ancient monument,

(ii) the site of an ancient monument,

(iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and

(iv) the means of access to, and convenient inspection of an ancient monument,

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes:

(i) such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and

(ii) the means of access to, and convenient inspection of the area,

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended,

(d) "Archaeological Officer" means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology,

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20F of the Act,

(f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:

Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E,

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or, the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public,

(h) "Government" means The Government of India,

(i) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a Protected Monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a Protected Monument or of securing convenient access thereto,

(j) "owner" includes:

(i) A joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner, and

(ii) Any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee,

(k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(l) "Prohibited Area" means any area specified or declared to be a Prohibited Area under section 20A,

(m) "Protected Area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act,

(n) "Protected Monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act,

(o) "Regulated Area" means any area specified or declared to be a Regulated Area under section 20B,

(p) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits,

(q) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction,

2. The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act or the rules made there under.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended

2.1 Background of the Act:

The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300 metres in all directions of the Protected Monument. The 300 metres area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of 100 metres in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of 200 metres in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16th day of June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of Director General (DG), Archaeological Survey of India (ASI) and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.2 Provision of the Act related to Heritage Bye-Laws:

Section 20E of the AMASR Act, 1958, as amended and Rule 22 of the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Protected Monuments. Ibid Rule provides parametres for the preparation of Heritage Bye-Laws. Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.3 Rights and Responsibilities of Applicant:

Section 20C of the AMASR Act, 1958, as amended, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re- construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th day of June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case maybe.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out constructionor re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of the Protected Monument – Duargarila Rock Inscription, Guwahati, District - Kamrup Metro, Assam

3.1 Location and Setting of the Monument:

The Protected Monument, Duargarila Rock Inscription, Guwahati, District Kamrup Metro, Assam is located at the foot of the Nilachal Hill in the city of Guwahati. The hill is situated in the Western part of Guwahati city, overlooking the Brahmaputra River to the North.

The GPS coordinates are: **Latitude: 26°09'40" N, Longitude: 91°42'39" E**.

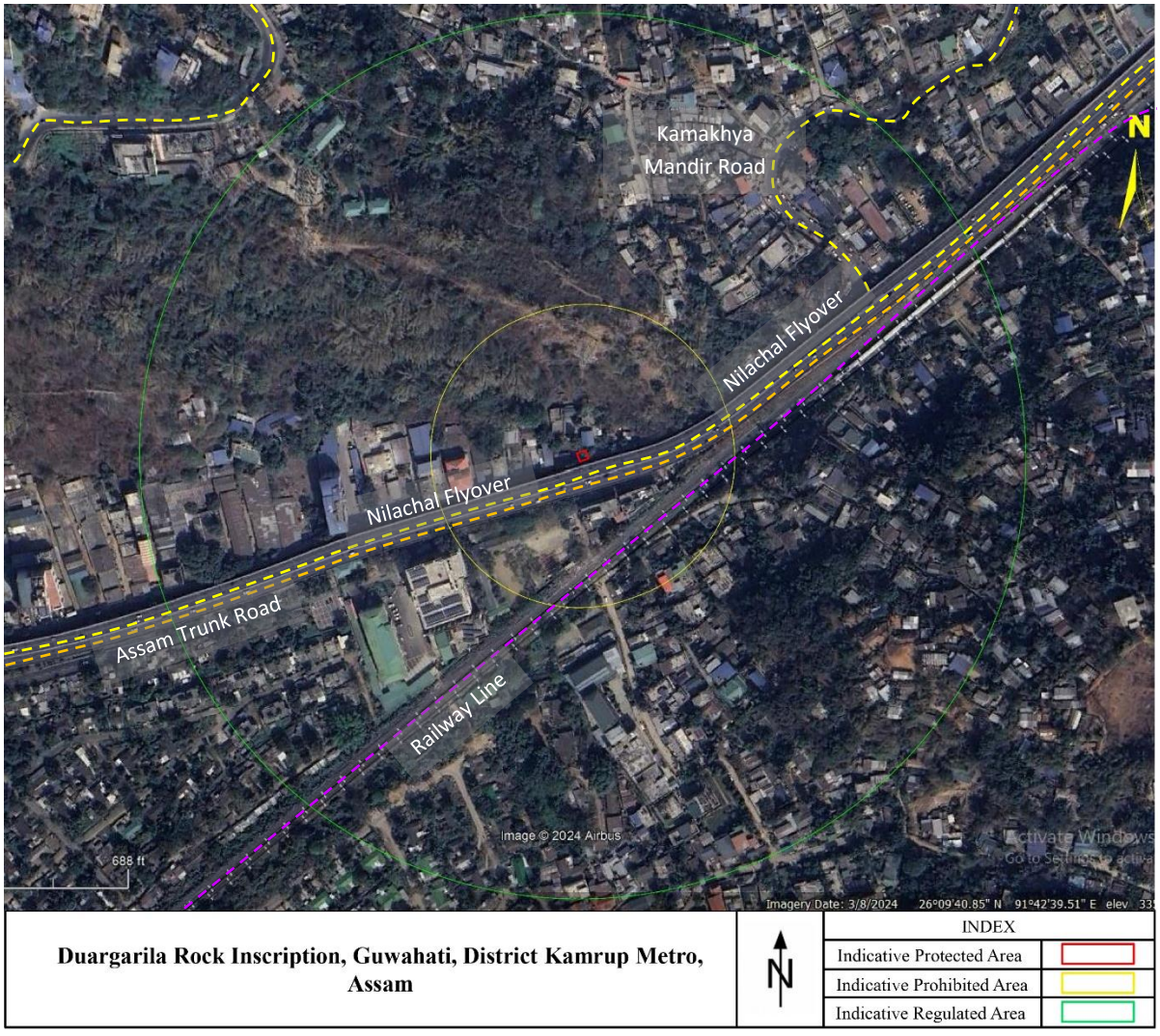

Figure 1: Satellite image showing the location of Duargarila Rock Inscription, Guwahati, District - Kamrup Metro, Assam

The Protected Monument is located along the Assam Trunk Road (AT Road) which further connects to the National Highway - 27 to the West. A flyover has been constructed over the AT Road and there is a railway track that runs parallel to it, passing through both the Prohibited and Regulated Area of the Protected Monument. The Protected Monument is nestled between a few structures and is located at the base of the Nilachal Hill (also known as Kamakhya Hill), which is a prominent landmark in the city of Guwahati. The Nilachal Hill is famous for the Kamakhya Temple, one of the most revered pilgrimage sites in India. The Protected Monument is positioned near the Southern base of the hill, distanced from the more frequently visited areas of the temple complex. The Protected Monument is surrounded by the bustling city of Guwahati to the South and the lush greenery of the hill to the North, with structures concentrated along the Kamakhya Mandir Road to the North-East. The Protected Monument holds significant cultural value, providing insights into the region's medieval history. The inscription found here is a vital historical record, offering primary source for understanding the Ahom dynasty's rule in Assam.

The Protected Monument has road, rail and air connectivity since Guwahati is the largest city in Assam and an important urban center in North-Eastern part of India. Rupnath Brahma Inter-State Bus Terminal (ISBT) in Guwahati is located at a distance of approximately 9.5 kilometres to the South of the Protected Monument. The nearest railway station is Kamakhya Junction which is approximately 2.3 kilometres to the South-West of the Protected Monument. Lokapriya Gopinath Bardoloi (Guwahati) Airport is at a distance of approximately 17 kilometres to the West of the Protected Monument.

3.2 Protected boundary of the Monument:

The Protected Boundary of the Protected Monument - **Duargarila Rock Inscription, Guwahati, District - Kamrup Metro, Assam** may be seen at **Annexure-I**.

3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

Gazette Notification of Duargarila Rock Inscription, Guwahati, District - Kamrup Metro, Assam may be seen at **Annexure-II**.

3.3 History of the Monument:

At the foot of the Kamakhya hill, there is an 18th century inscription in Assamese known as the Duargarila rock inscription marking the Western gateway to the headquarters at Guwahati during the Ahom rule. This rock inscription was inscribed by Panidihingiya Barphukan or Debera Barphukan on behalf of King Siva Singha (1714 - 1744 CE), the General and Provincial Governor of lower Assam of the Ahom Kingdom. The epigraph was inscribed in Saka 1654 (1732 CE).

3.4 Description of Monument (architectural features, elements, materials etc.):

The Protected Monument is a boulder having a rectangular base and its surface incised with inscription. The inscription mentions about the construction of a *dvara* (gateway) measuring 152 Dhamus and a moat measuring 222 Dhamus for *Pragjyotishpura* and a rampart along with the moat at the site. The materials used for the construction of the rampart were earth, stone and bricks.

3.5 Current Status:

3.5.1 Condition of Monument- condition assessment:

The maintenance and preservation of the Protected Monument is the exclusive domain of the Archaeological Survey of India (ASI). The photographs depicting the present condition of the Protected Monument are appended at **Annexure-V**.

3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

The average number of people visiting the Protected Monument is approximately 5 - 10 per day.

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.1 Existing zoning:

According to the "Existing Predominant Land Use Map" from the "Comprehensive Master Plan for Guwahati Metropolitan Area, 2025," the Protected Monument falls under the Commercial Land Use Zone.

The Prohibited and Regulated areas surrounding the Protected Monument have various designated existing land use zones, including:

i. Residential Land Use Zone, with subcategories:
   a) General Residential
   b) Sparsely Located Hill Settlements

ii. Public Semi-Public Land Use Zone, with subcategories for Government Use (e.g., police stations, post offices, government offices).

iii. Open Space/Recreation/Vacant Land Use Zone, with a subcategory for Hills.

iv. Commercial Land Use Zone, with subcategories for General Commercial and Warehouse.

A copy of the **Existing Predominant Land Use Map** is appended in **Annexure-III (a) and III (b)**.

4.2 Existing Guidelines of the local bodies:

Guwahati Building Construction (Regulation)(Amendment) Bye-Laws, 2020 is applicable in the Guwahati Metropolitan Area as notified in the Master Plan for the city of Guwahati.

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/Survey Plan of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records

5.1 Survey Plan of the Monument:

The Survey Plan of Duargarila Rock Inscription, Guwahati, District - Kamrup Metro, Assam may be seen at **Annexure-I**.

5.2 Analysis of surveyed data:

5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

i. Protected Area is 47 square metres (0.012 Acres) approximately.
ii. Prohibited Area is 34,152 square metres (8.4 Acres) approximately.
iii. Regulated Area is 2,56,801 square metres (63.5 Acres) approximately.

5.2.2 Description of built-up area:

i. **North:** In the Prohibited Area, very few structures are present which mostly include a few commercial shops on the left and right sides of the Protected Monument, located along the Assam Trunk Road, and a few houses constructed on the slopes of the Nilachal/Kamakhya Hill, adjacent to the Protected Monument. The remaining Prohibited Area comprises the green open spaces of the hill.

The Regulated Area extends further up Nilachal Hill, with the built-up zone concentrated in the North-Eastern part, along the Kamakhya Mandir Road. This area primarily features low to mid-rise commercial structures, including shops, hotels, and lodges catering to visitors and pilgrims. Additionally, a few residential buildings are situated on the slopes of the hill. Scattered among these structures are smaller temples such as the Shiv Mandir, the Kamakhya Hill electric substation, and a few toilet blocks. The Regulated Area also encompasses the main entrance gate to the Kamakhya Temple, located at the start of Kamakhya Mandir Road. A portion of this road also lies within the boundaries of the Regulated Area.

ii. **East:** The Prohibited Area in the Eastern direction consists of a portion of the flyover that passes over the Assam Trunk Road (AT Road). To the South of this flyover, there are a few buildings situated along the road which includes commercial complexes with retail stores. In the South-Eastern direction, a railway track crosses through the Prohibited Area, adjacent to these buildings.

Within the Regulated Area, a flyover passes over Assam Trunk Road, running parallel to the railway track. The main entrance gate to Kamakhya Temple is located to the North-East. In the Eastern and South-Eastern parts of the area, the built environment predominantly comprises residential buildings along the slopes of the hill. Additional structures include a medical store, a hostel, restaurants, and a school known as Nilachal Jatiya Vidyalaya.

iii. **South:** In the Prohibited Area, adjacent to and in front of the Protected Monument, a flyover passes over the Assam Trunk Road (AT Road). There are commercial complexes with retail stores situated along the AT Road in the South-Eastern direction. Institutional buildings, including those within the campuses of Maligaon High School are also present. Additionally, a railway track passes through the Prohibited Area, adjacent to these structures.

The Regulated Area primarily consists of residential buildings within the Railway Colony. While the area is predominantly residential, there are also institutional buildings across the railway line, such as Lalit Chandra Bharali (L.C.B.) College and the L.C.B. College Girls Hostel. Other structures within the Regulated Area include the Kamakhya Hill electric substation and several smaller temples scattered throughout the area.

iv. **West:** In the Prohibited Area, commercial buildings are located along the Assam Trunk Road (AT Road), including retail showrooms, a yoga centre, and several small shops. Behind these commercial establishments, a few residential buildings are also present. The flyover, passing over the AT Road, falls within the Prohibited Area. To the South-West, the buildings of Maligaon High School are located.

In the Regulated Area, the flyover continues over the AT Road. Several structures are situated along this road, including a petrol pump, Sanjeevani Hospital, a few temples, Spring Dale Public School, a warehouse, and a few residential buildings. Adjacent to Maligaon High School, there are buildings within the premises of the Office of the General Manager, Northeast Frontier Railway (Construction). Additionally, residential railway quarters are present in this area. The railway track crosses through the Regulated Area, extending towards the South-West. To the North-West, the Assam Electric Grid Corporation's facilities and buildings of the Prashaanti Tourist Lodge fall within the Regulated Area.

5.2.3 Description of green/open spaces:

The Prohibited and Regulated Area around the Protected Monument features a combination of green and open spaces that enhance the surroundings and offer a balance to the built-up environment. To the South of the Protected Monument, the residential quarters within the Railway Colony are surrounded by patches of greenery. These include well-maintained lawns, small gardens, and tree-lined pathways, providing a peaceful and shaded environment for the residents. The layout of the colony allows for open areas between buildings, contributing to a serene and spacious atmosphere. Nearby institutions, such as Maligaon High School, offer significant open spaces in the form of sports fields and courtyards. Along the streets, there are stretches of roadside greenery, including planted trees, bushes, and natural vegetation. The Assam Electric Grid Corporation's facilities and the nearby electric substation also have some open areas, though primarily utility-focused. In the Northern direction, near the foothill of Kamakhya Hill, the landscape transitions into more natural and open green spaces. The lower slopes of the hill are dotted with dense vegetation, including native trees and shrubs that are part of the hill's natural ecosystem. This area offers a refreshing change from the more urbanized surroundings, with natural greenery covering large portions of the hill. The residential colonies situated on the Fatasil hill present in the Eastern and South-Eastern direction also have green areas interspersed between the buildings. There are open spaces within the premises of the Office of the General Manager, Northeast Frontier Railway (Construction).

5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc.:

The Protected Monument is well connected to the rest of the city through a network of roads ensuring easy accessibility. The combination of major roads, local streets and pedestrian pathways creates a well-connected environment around the Protected Monument, allowing smooth access for visitors. The main road, Assam Trunk Road (AT Road), runs adjacent to the Protected Monument and serves as the primary access route. It connects the area to other parts of Guwahati and links to National Highway 27 to the West. The road sees significant traffic, including buses, taxis, and private vehicles, due to its role as a major city connector. A newly constructed flyover above AT Road directs the long-distance traffic, while local traffic flows underneath. To the North, Kamakhya Mandir Road branches off from the main road, providing a key route to Kamakhya Temple, one of the most important religious sites in Guwahati. Its role in the area's connectivity adds to the overall circulation, linking the Protected Monument with more Northern parts of the hill and the city. Several smaller roads and streets extend from AT Road, providing local access to nearby residential buildings, commercial establishments, and institutional facilities like Maligaon High School and the Railway Colony. These roads are narrower but crucial for the movement of vehicles and pedestrians within the local community.

5.2.5 Existing Heights of buildings:

The general built character of the Prohibited and Regulated Area primarily consists of low-rise structures. In the built-up areas to the East, South and West, the majority of buildings range from one to three storeys high with a few exceptions of four to five storey structures. The buildings typically include residential houses, commercial establishments along with a few local shops, educational institutes and offices. Sanjeevani Hospital to the East is eight storeys high.

To the North, the average heights of buildings range from approximately G+1 to G+2, however, there is a building with a maximum height of approximately 12 metres.

To the East, the average heights of buildings range from approximately ground level to G+1 with an exception where the maximum height is approximately 10 metres.

To the South, the average heights of buildings range from approximately ground level to G+3 with an exception where the maximum height is 18 metres. The height of the flyover is approximately 9 metres from the road level to the top.

To the West, the average heights of buildings range from approximately ground level to G+2 however buildings within the premises of the Office of the General Manager, N.F. Railway Construction have the maximum height of approximately 24 metres.

5.2.6 State protected monument and listed heritage buildings by local authorities if Available within Prohibited/Regulated:

No state protected monuments and listed heritage buildings by local authorities, are present, within the Prohibited and Regulated Area of the Protected Monument.

5.2.7 Public amenities:

The Prohibited and Regulated Areas are provided with essential public amenities.

5.2.8 Access to the monument:

The primary access to the Protected Monument is facilitated via the major road known as Assam Trunk Road (AT Road).

5.2.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid Wastemanagement, parking etc.):

The Prohibited and Regulated Areas have essential infrastructure services such as water supply, stormwater drainage, electricity supply, sewage system and solid waste management.

5.2.10 Proposed zoning of the area as per Local Bodies:

According to the proposed "Landuse Zoning Plan – 2025" from the "Comprehensive Master Plan for Guwahati Metropolitan Area, 2025," the Protected Monument is not assigned any distinct land use zoning that reflects its unique characteristics. Instead, it is marked under the Commercial Land Use Zone and Eco Sensitive/ Eco Friendly Zone, specified as Hill, which contrasts with its historical significance.

The Prohibited and Regulated Areas surrounding the Protected Monument have various Proposed Land use zones in contrast with the Existing Predominant Land Use Map. Following are the designated Land use zones in the Prohibited and Regulated Areas:

i. Residential
ii. Public Semi-Public
iii. Hills
iv. Commercial – Retail

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monument

6.1 Architectural, historical and archaeological value:

The Protected Monument, Duargarila Rock Inscription, is a significant boulder/rock having a rectangular space of the surface incised with inscription that informs us about the construction of a *dvara* (gateway) measuring 152 Dhamus and a moat measuring 222 Dhamus for *Pragjyotishpura* and a rampart along with the moat at the site. The materials used for the construction of the rampart were earth, stone and bricks. This is one of the many significant rock inscriptions found in Assam. The Duargarila Rock Inscription has immense historical value as it is a vital historical record, offering primary source for understanding the Ahom Dynasty's rule in Assam. The inscription provides insights into the region's medieval history. This rock inscription is engraved on the foothills of Nilachal Hill. This was the Western gateway of the Guwahati city at the time of the Ahom rule. This rock inscription was inscribed by Panidihingiya Barphukan or Debera Barphukan, on behalf of King Siva Singha (1714 – 1744 CE), the General and Provincial Governor of lower Assam of the Ahom Kingdom. The epigraph is inscribed in Saka 1654 (1732 CE).

6.2 Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population Pressure, etc.)

The Protected Monument is surrounded by modern constructions in all directions. It is accessible via the Assam Trunk Road (AT Road), a major road with high traffic volumes that connects to key areas within Guwahati. A flyover above this road partially overshadows the Protected Monument. The Nilachal/Kamakhya Hill has been designated as an eco-sensitive zone in the Guwahati master plan; however, ongoing developments on the hill pose risks to the ecosystem and adversely impact the natural and historical context of the Protected Monument.

6.3 Visibility from the protected monument or area and visibility from Regulated Area:

The views to the south from the Protected Monument gets obstructed due to the presence of the flyover above the Assam Trunk Road (AT Road) in the Southern direction. To the North, the view is dominated by the ascending slopes of Kamakhya Hill, covered with lush greenery and dense vegetation. Towards the East, the view showcases more of the city’s urban character with residential neighbourhoods and local shops partially obstructed due to the presence of flyover above the busy Assam Trunk Road (AT Road). To the South, the area is characterized by a mix of low to mid-rise constructions, with some green spaces interspersed among them. The nearby Maligaon High School and the Office of the General Manager, N.F. Railway Construction can be partially seen. To the West, there are obstructed views of the buildings present along the AT Road. From the vantage point of the Protected Monument, the panorama encompasses a tapestry of Guwahati’s urban and natural landscapes.

The Protected Monument is not visible from all the directions. However, it is only visible from the Assam Truck Road in the Southern direction of the Prohibited Area.

6.4 Land-use to be identified:

The designated Land use zones in the Prohibited and Regulated Areas:

i. Residential

ii. Public Semi-Public

iii. Hills

iv. Commercial – Retail

6.5 Archaeological heritage remains other than protected monument:

There are no known or reported archaeological heritage remains in the Prohibited and Regulated Area to date.

6.6 Cultural landscapes:

The Protected Monument, Duargarila Rock Inscription is located on the foothills of the Nilachal/Kamakhya Hill and forms part of the Kamakhya Hill landscape. The cultural landscape of hill encompasses a harmonious interaction between the natural environment and the cultural practices of the communities inhabiting it. Dominated by the revered Kamakhya Temple, the hill serves as a pilgrimage site where religious rituals and festivals highlight the spiritual significance of the landscape. The presence of the Duargarila Rock Inscription illustrates the historical depth of the area and its connection to the Ahom Dynasty. This interplay of natural and cultural attributes creates a unique landscape that embodies the identity, beliefs, and practices of the local communities, illustrating the significance of Kamakhya Hill and its surroundings as a living cultural landscape.

6.7 Significant natural landscapes that forms part of cultural landscape and also helps inprotecting the monument from environmental pollution:

The Protected Monument lies on the foothills of the Nilachal/Kamakhya Hill. The hill offers a captivating blend of natural landscapes characterized by lush vegetation, diverse flora, and gentle slopes leading to the hill's rugged terrain. Tropical and subtropical species thrive here, creating a vibrant green canopy and supporting a rich avifauna, making it an attractive habitat for various birds and small mammals. The seasonal changes bring vibrant wildflowers in spring and lush greenery in summer, further enriching the ecological diversity and visual appeal of this serene environment.

6.8 Usage of open space and constructions:

The open spaces surrounding the Protected Monument serve multiple purposes within the urban and natural environment. To the North, toward the foothills of Kamakhya Hill, the landscape transitions to more natural and expansive green spaces. This natural greenery covers large portions of the hill's base, while the residential colonies in the Eastern and South-Eastern directions feature interspersed green areas that promote community interaction. To the South, the residential quarters of the Railway Colony are enveloped by well-maintained lawns, small gardens, and tree-lined pathways, creating peaceful and shaded areas for residents. The layout promotes spaciousness, with open areas interspersed between buildings, contributing to a serene atmosphere. Nearby institutions, such as Maligaon High School, feature significant open spaces, including sports fields and courtyards, which serve as vital recreational areas. Along the streets, stretches of roadside greenery, including planted trees, bushes, and natural vegetation, act as buffers within the urban landscape, offering shade and enhancing the aesthetic appeal. Additionally, to the South-West and West, there are open spaces present within the premises of the office of the General Manager, Northern Frontier Railway (Construction), which contribute to the overall accessibility and usability of the area.

6.9 Traditional, historical and cultural activities:

There are no traditional, historical and cultural activities associated with the Protected Monument. In the Prohibited and Regulated Areas as well, no such activities are observed.

6.10 Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas:

The skyline from the Protected Monument offers a partially obstructed view of the surrounding areas to the South. This area is characterized by a blend of low to mid-rise buildings, with patches of green spaces interspersed throughout. Notable structures, such as Maligaon High School and the Office of the General Manager, N.F. Railway Construction, are partially visible. To the North, the skyline is dominated by the ascending slopes of Kamakhya Hill, which is adorned with lush greenery and dense vegetation, creating a striking natural backdrop.

The skyline from the Regulated Area features buildings interspersed with open spaces; however, the Protected Monument is not visible from any part of the Regulated Area. The panorama encapsulates a tapestry of both urban and natural landscapes with a strong presence of Kamakhya Hill in the backdrop of buildings. The flyover above the Assam Trunk Road (AT Road) is a prominent feature of the current skyline.

6.11 Traditional architecture:

There are hardly any buildings in the Prohibited and Regulated Area that display traditional architecture.

6.12 Developmental plan, as available, by the local authorities:

Comprehensive Master Plan for Guwahati Metropolitan Area, 2025 may be referred.

6.13 Permissible Building related parametres:

6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated area):

Internal changes and adaptive reuse may be generally permitted. However, external changes shall be subject to detailed scrutiny by the Competent Authority. Such changes which include retrofitting/renovation may be permitted when the building is structurally weak or unsafe or when it has been adversely impacted by any natural calamity and renovation is absolutely necessary. Original building vocabulary and layout along with built area and open area relationships are to be adhered to. General repair and upkeep of buildings will be permissible, subject to prior permission from the Competent Authority.

The repair and renovation in building/structures should be sympathetic and congruous with the heritage character of the protected monument and its surrounding areas. New cladding materials like Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), laminates, tiling or glazing will not be permitted. Use of locally available building material should be encouraged in carrying out repair and renovation works.

6.13.2 Reconstruction:

Reconstruction is defined in Section 2(k) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended. Permission for reconstruction in Regulated Area is accorded as per Section 20 C(2) of the AMASR Act, 1958, as amended, and Rule 6 (IV) and Rule 7 AMASR (Framing of heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. In case of any type of building or structure located in the Prohibited or Regulated Area of the Protected Monument or Protected Site, collapsed or damaged and found beyond repair due to natural calamities, the permission for reconstruction is accorded as per Rule 16 of AMASR (Framing of heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. Reconstruction of building or structure damaged due to natural calamity shall be permissible only to the extent it is damaged. The new structure or building as a replacement to the older building in case of reconstruction shall follow the same horizontal and vertical limits as per the pre-existing structure. The use of incongruous materials in the façade such as glazing, metal cladding, Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), tiles, laminates will not be permissible. The new structure should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monuments and its surrounding area.

6.13.3 New Construction:

6.13.3 A Prohibited Area:

As per Section 20A(4) of AMASR Act, 1958, as amended no new construction including carrying out any public work or project essential to the public or other construction, shall be permitted within the Prohibited Area of the Protected Monument.

6.13.3 B Regulated Area:

All the development control norms and building regulations specified in the **Comprehensive Master Plan for Guwahati Metropolitan Area, 2025** and the **Guwahati Building Construction (Regulation)(Amendment) Bye-Laws, 2020**, as and when amended, will be applicable in the Guwahati Metropolitan Area as notified in the Master Plan for the city of Guwahati. However, the height and other parametres specified in this document shall be applicable in the Regulated Area of the Protected Monument.

1. **Height of the new construction on the site (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, HVAC unit, solar panel, rain water harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc.) or any other services on the roof:**

   The maximum height limit for new construction or additions/alteration to existing buildings in all Zones of the Regulated Area shall not exceed **10.5 metres** (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, generator room, HVAC unit, solar panel, rainwater harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc. or any other services on the roof).

   Construction of the basement should be discouraged.

2. **Usage:**

   i. The usage should be in accordance with 'Land use Zoning Plan – 2025' of Comprehensive Master Plan for Guwahati Metropolitan Area, 2025.

   ii. The Nilachal/Kamakhya Hill should be protected for its ecological significance, therefore construction activity should be discouraged as far as feasible.

3. **Façade design:**

   i. The façade design of any new construction should be minimalistic in nature. The façade design should be subtle, and plastered and painted in earthy colours.

   ii. Use of intrusive materials such as Aluminium Composite Panel (ACP), High Pressure Laminates (HPL) and any other synthetic material for exterior finishes on the exterior façade should be discouraged.

   iii. Local vernacular designs for façades may be encouraged.

4. Roof design:

Sloping roof design may be followed. Erection of Structures, even of temporary nature, using materials such as aluminium, fibre glass, polycarbonate or similar materials should be discouraged on the roof of the building. Water tanks should be screened off using brick walls.

5. Building material:

i. Consistency in building materials and colour along all street façades of the monument should be maintained. Modern building materials such as aluminium cladding, glass bricks and any other synthetic tiles or materials should be discouraged for exterior finishes.

ii. Building materials like mud, brick, stone and cement may be used.

6. Colour:

The exterior colour should be of a neutral tone and in harmony with the Protected Monument such as buff sandstone colour, beige and other earthy colours which do not create a harsh contrast with the Protected Monument and its immediate surroundings.

7. Other Regulations:

Proposal for construction of any large-scale public infrastructure project like, metro, foot-over bridges, flyover or any such project shall be subject to a detailed Heritage Impact Assessment report.

6.14 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities may be considered as far as feasible.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

i. A proper set back should be provided from the road edge for the entry of the Protected Monument.

ii. The widening of the major arterial road around the Protected Monument, if done, should be in a direction away from the Protected Boundary of the Protected Monument as far as feasible.

iii. The installation of signages should not damage the historic fabric, nor diminish the historic character of the Protected Monument.

iv. LED or digital signs, plastic fibre glass, or any other highly reflective synthetic material should not be used for signages in the vicinity of the Protected Monument or its immediate surrounding areas.

v. No advertisements in the form of hoardings, bill-boards and posters to be permitted near the Protected Monument, especially on the boundaries of the Monument.

vi. Use of Eco-Friendly vehicles for movement in the vicinity of the Protected Monument is recommended.

vii. Construction of green buildings including best practices like rain water harvesting etc. is recommended.

7.2 Other recommendations:

i. Whenever the Master Plan, Zonal Plan or Development Plan is amended, it should clearly show all the Protected Monuments of National Importance and their Prohibited and Regulated Areas.

ii. The area should be declared as Plastic and Polythene free zone.

iii. National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts maybe referred at https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf

अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक-I
ANNEXURE-I

दुआरगारिला शिलालेख, गुवाहाटी, जिला - कामरूप मैट्रो, असम की सर्वेक्षण योजना
Survey Plan of Duargarila Rock Inscription, Guwahati, District - Kamrup Metro, Assam

अनुलग्नक-II
ANNEXURE-II

संस्मारक की मूल अधिसूचना
Notification of the Monument

मूल अधिसूचना
Original Notification

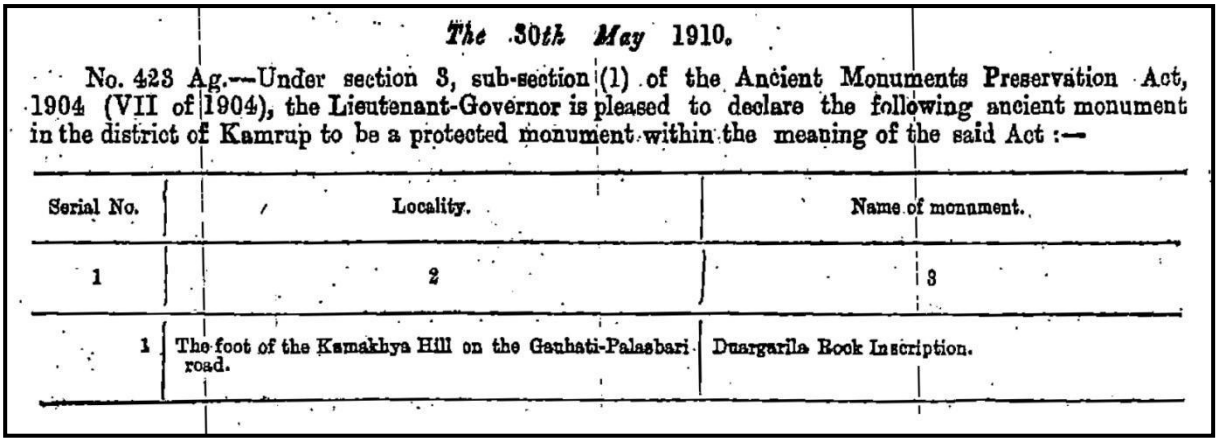

The 30th May 1910.

No. 423 Ag.—Under section 3, sub-section (1) of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), the Lieutenant-Governor is pleased to declare the following ancient monument in the district of Kamrup to be a protected monument within the meaning of the said Act :—

Serial No.	Locality.	Name of monument.
1	2	3
1	The foot of the Kamakhya Hill on the Gauhati-Palasbari road.	Duargarila Rock Inscription.

अधिसूचना की टंकित प्रति
Typed copy of Original Notification

The 30th May 1910.

No. 423 Ag. - Under section 3, sub-section (1) of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), the Lieutenant-Governor is pleased to declare the following ancient monument in the district of Kamrup to be a protected monument within the meaning of the said Act:-

Serial No.	Locality	Name of monument
1	2	3
1	The foot of the Kamakhya Hill on the Gauhati-Palasbari road	Duargarila Rock Inscription

अनुलग्नक-III(क)
ANNEXURE–III(a)

गुवाहाटी महानगर क्षेत्र के लिए व्यापक मास्टर प्लान, 2025 'मौजूदा प्रमुख भूमि उपयोग मानचित्र'

Comprehensive Master Plan for Guwahati Metropolitan Area, 2025 'Existing Predominant Land use map'

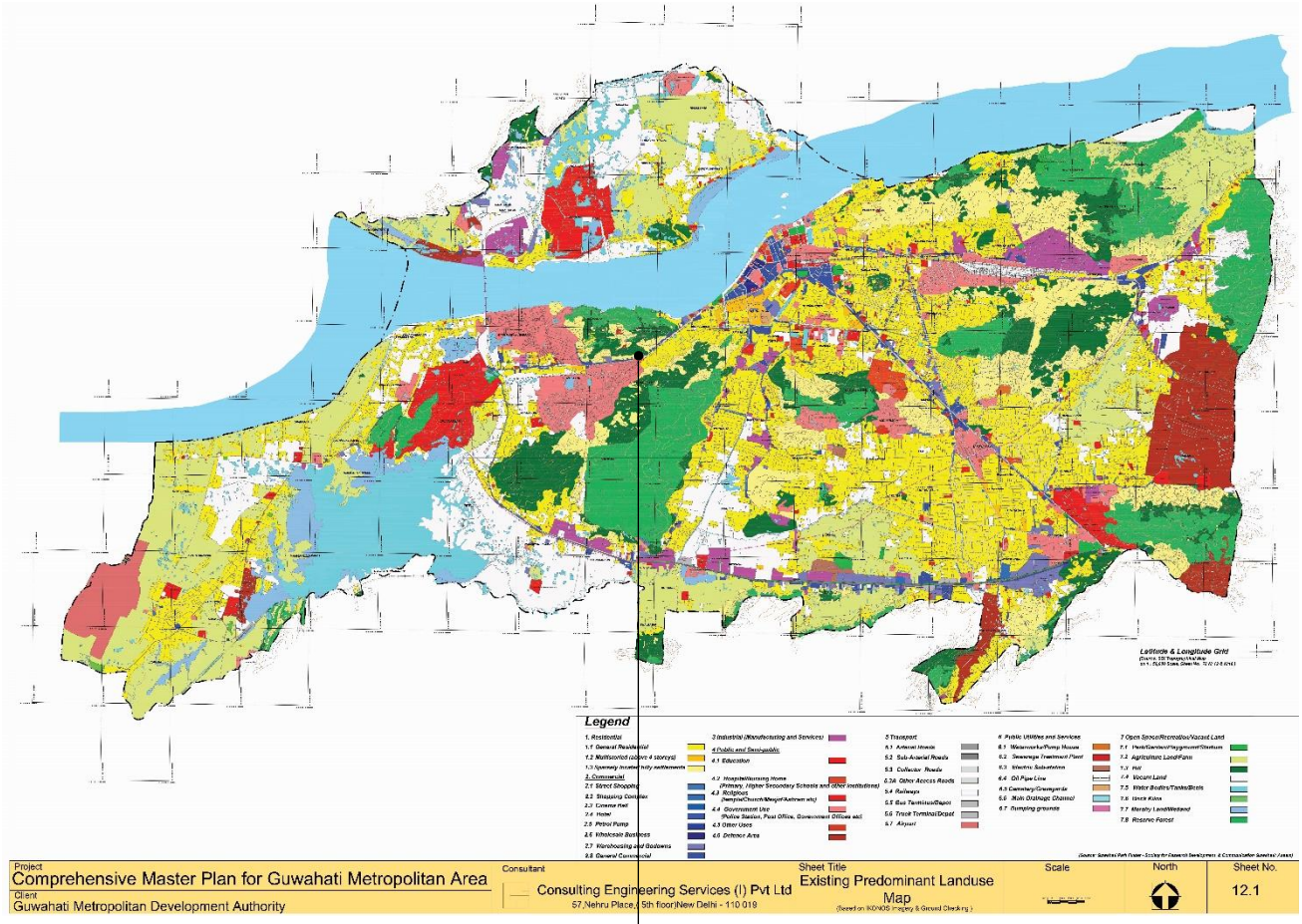

Duargarila Rock Inscription

मानचित्र 1: गुवाहाटी महानगर क्षेत्र के लिए व्यापक मास्टर प्लान, 2025 के अनुसार मौजूदा प्रमुख भूमि उपयोग मानचित्र

Map 1: Existing Predominant Land use map as per Comprehensive Master Plan for Guwahati Metropolitan Area, 2025

अनुलग्नक-III(ख)
ANNEXURE–III(b)

गुवाहाटी महानगर क्षेत्र के लिए व्यापक मास्टर प्लान, 2025 'मौजूदा प्रमुख भूमि उपयोग मानचित्र' का बडा किया गया खंड

The enlarged section of Comprehensive Master Plan for Guwahati Metropolitan Area, 2025 'Existing Predominant Land use map'

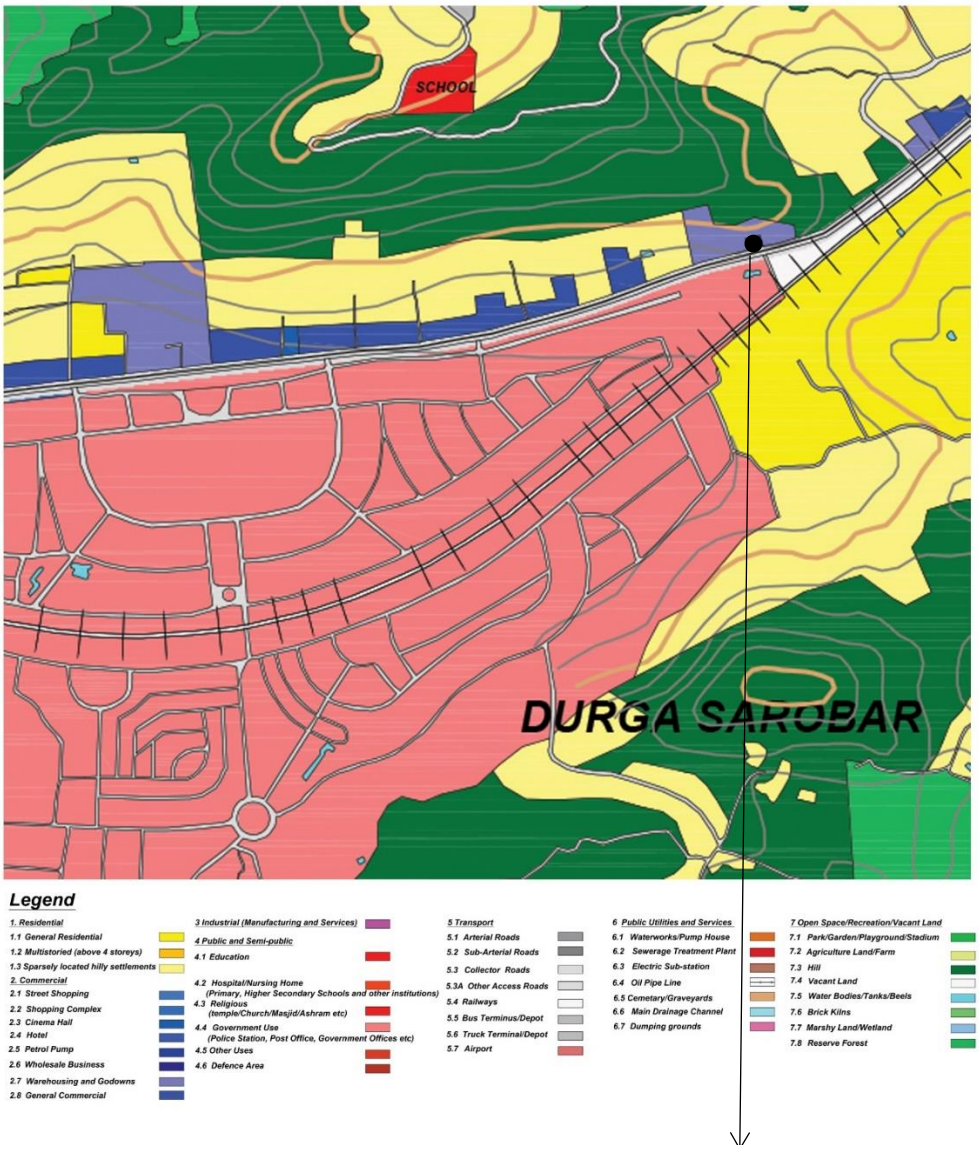

मानचित्र 2: गुवाहाटी महानगर क्षेत्र के लिए व्यापक मास्टर प्लान, 2025 के अनुसार मौजूदा प्रमुख भूमि उपयोग मानचित्र का बडा किया गया खंड

Map 2: The enlarged section of the Existing Predominant Land use map as per Comprehensive Master Plan for Guwahati Metropolitan Area, 2025

अनुलग्नक-IV(क)
ANNEXURE–IV(a)

गुवाहाटी महानगर क्षेत्र के लिए व्यापक मास्टर प्लान, 2025 'भूमि उपयोग ज़ोनिंग योजना – 2025'
Comprehensive Master Plan for Guwahati Metropolitan Area, 2025 'Landuse Zoning Plan – 2025'

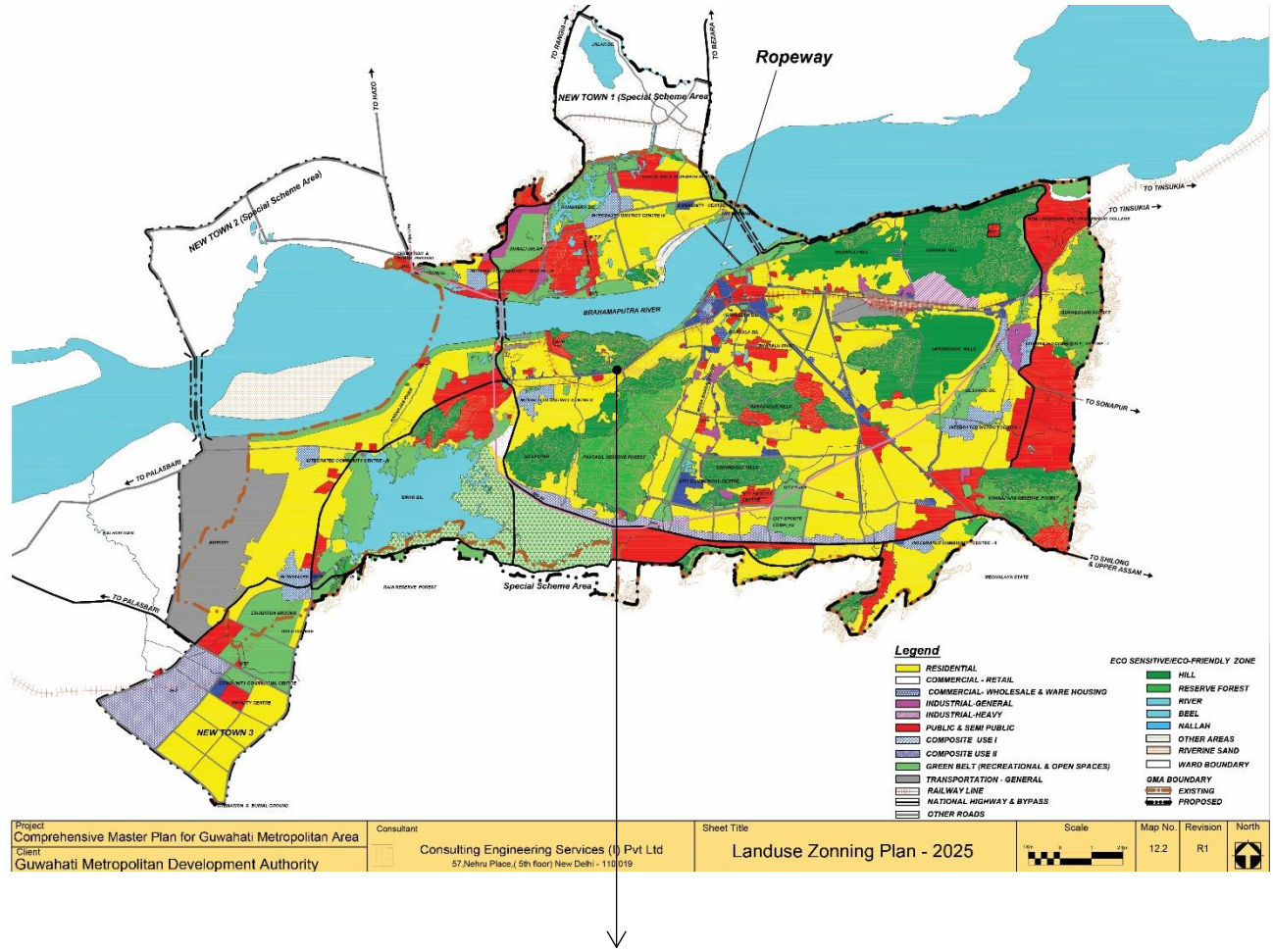

Duargarila Rock Inscription

मानचित्र 3: गुवाहाटी महानगर क्षेत्र के लिए व्यापक मास्टर प्लान, 2025 'भूमि उपयोग ज़ोनिंग योजना – 2025'
Map 3: Comprehensive Master Plan for Guwahati Metropolitan Area, 2025: 'Landuse Zoning Plan – 2025'

अनुलग्नक-IV(ख)
ANNEXURE-IV(b)

गुवाहाटी महानगर क्षेत्र के लिए व्यापक मास्टर प्लान, 2025 'भूमि उपयोग ज़ोनिंग योजना – 2025' का बडा किया गया खंड

The enlarged section of Comprehensive Master Plan for Guwahati Metropolitan Area, 2025 'Landuse Zoning Plan–2025'

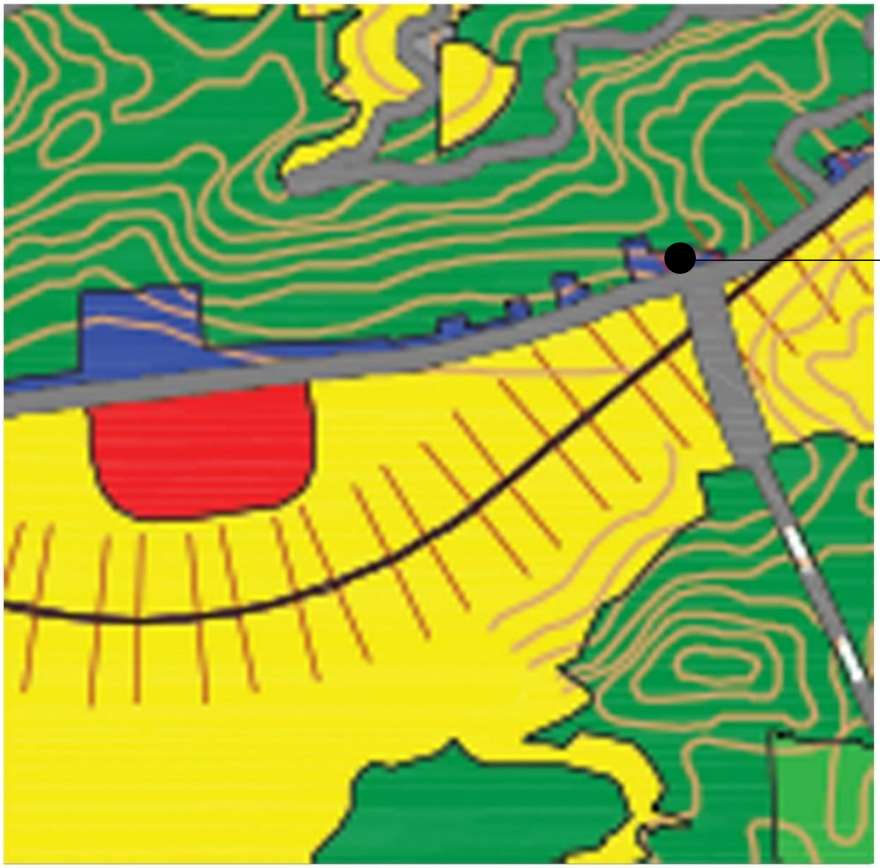

मानचित्र 4: गुवाहाटी महानगर क्षेत्र के लिए व्यापक मास्टर प्लान, 2025 'भूमि उपयोग ज़ोनिंग योजना – 2025' का बडा किया गया खंड

Map 4: The enlarged section of Comprehensive Master Plan for Guwahati Metropolitan Area, 2025 'Landuse Zoning Plan – 2025'

अनुलग्नक-V
ANNEXURE–V

संस्मारक दुआरगारिला शिलालेख, गुवाहाटी, जिला - कामरूप मैट्रो, असम और उसके आसपास के चित्र
Images of the Monument and its surrounding areas – Duargarila Rock Inscription, Guwahati, District - Kamrup Metro, Assam

चित्र 1 और 2: असम ट्रंक रोड के किनारे दुआरगारिला शिलालेख की अवस्थिति
Image 1 and 2: The setting of the Duargarila Rock Inscription, beside the Assam Trunk Road

चित्र 3: दुआरगारिला शिलालेख का दृश्य
Image 3: View of the Duargarila Rock Inscription

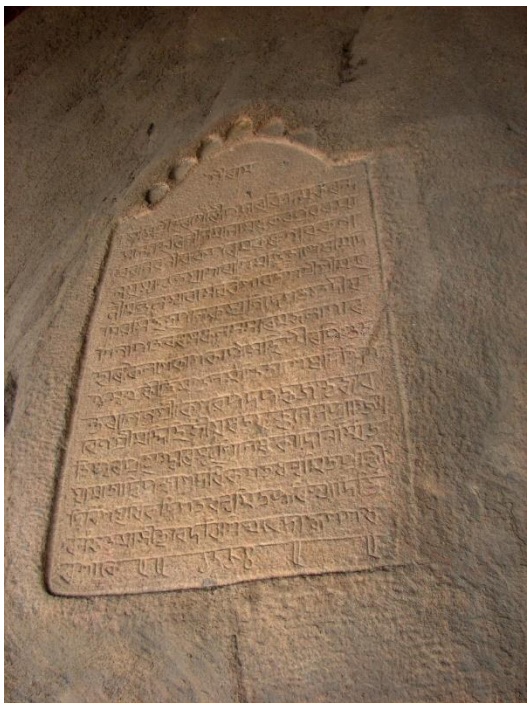

चित्र 4: शिलालेख
Image 4: The rock inscription

चित्र 5: चारों तरफ की चारदीवारी और लगाया गया शैड
Image 5: The boundary wall on all sides and provided with shade

चित्र 6: संस्मारक के सामने एटी रोड पर निर्मित नीलाचल फ्लाईओवर का दृश्य

Image 6: View of the Neelachal flyover constructed over the AT Road, in front of the monument

चित्र 7: पश्चिम की ओर संजीवनी अस्पताल

Image 7: Sanjeevani Hospital to the West

चित्र 8: महाप्रबंधक का कार्यालय, उत्तरी सीमांत रेलवे निर्माण का परिसर

Image 8: Campus of the Office of the General Manager, N.F. Railway Construction

चित्र 9: उत्तर—पूर्व की ओर कामाख्या मंदिर द्वार

Image 9: Kamakhya Mandir Gate to the North-East